मास्टर परिपत्र

निर्यातकों को रुपए में /विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण
तथा ग्राहक सेवा

विषयवस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
क	प्रयोजन	3
ख	वर्गीकरण	3
ग	पिछले समेकित अनुदेश	3
घ	प्रयोज्यता की व्याप्ति	3
	प्रस्तावना	5
	भाग-क -रुपया निर्यात ऋण	6
1	पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण	15
2	पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण	21
3	मानित निर्यात -रियायती रुपया निर्यात ऋण	21
4	रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज	22
	भाग-ख - विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण	
5	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण	26
6	विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण	34
7	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज	38
	भाग-ग - निर्यात ऋण- ग्राहक सेवा, निर्यात ऋण दिए जाने से संबंधित क्रियाविधि का सरलीकरण और रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षाएं	
8	ग्राहक सेवा तथा कार्यविधि का सरलीकरण	39
9	रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षाएँ	47
10	हीरा निर्यातकों को लदानपूर्व ऋण कांफ्लिक्ट डायमंडस्	48
11	अनुबंध 1 - निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशें	49
12	अनुबंध 2 - निर्यात ऋण डाटा (संवितरण /बकाया)	51
13	अनुबंध 3 - हीरा ग्राहकों से प्राप्त किया जानेवाला वचन-पत्र	52
14	परिशिष्ट I - रुपया निर्यात ऋण - परिपत्र	53
15	परिशिष्ट II - विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - परिपत्र	62
16	परिशिष्ट III- निर्यात ऋण - ग्राहक सेवा - परिपत्र	63

निर्यातकों को रुपए में /विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण
तथा ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र

क. प्रयोजन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्यात ऋण और ग्राहक सेवा संबंधी नियमों/ विनियमों और स्पष्टीकरणों का समेकन

ख. वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक सांविधिक निदेश

ग. पिछले समेकित अनुदेश

यह मास्टर परिपत्र परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों और वर्ष के दौरान जारी किए गए स्पष्टीकरणों में निहित सभी अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन करता है ।

प्रयोज्यता की व्याप्ति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू ।

संरचना

भाग-क

रुपया निर्यात ऋण

1. पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण
2. पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण
3. मानित निर्यात -रियायती रुपया निर्यात ऋण
4. रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज

भाग-ख

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण

5. विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण
6. विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण
7. विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज

भाग-ग

निर्यात ऋण- ग्राहक सेवा, निर्यात ऋण दिए जाने से संबंधित क्रियाविधि का सरलीकरण और रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षाएं

8. ग्राहक सेवा तथा क्रियाविधि का सरलीकरण

9. रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षाएं

10. हीरों के निर्यातकों को पोतलदानपूर्व ऋण - कॉनफ्लिक्ट डायमंड

11. अनुबंध 1 निर्यात ऋण समीक्षा हेतु गठित कार्य दल की सिफारिशें

12. अनुबंध 2 निर्यात ऋण के आंकड़े (वितरण/ बकाया)

13. अनुबंध 3 हीरों के ग्राहकों से वचनपत्र

14. परिशिष्ट I रुपया निर्यात ऋण -परिपत्र

15. परिशिष्ट II विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - परिपत्र

16. परिशिष्ट III निर्यात ऋण - ग्राहक सेवा- परिपत्र

प्रस्तावना

निर्यात ऋण योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1967 में पहली बार विर्यात वित्तपोषण की योजना लागू की। इस योजना का उद्देश्य था निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों के अनुरूप दरों पर अल्पावधि कार्यशील पूँजी वित्त उपलब्ध कराना। भारतीय रिज़र्व बैंक निर्यात ऋण के लिए केवल ब्याज की उच्चतम दर निर्धारित करता है। तथापि, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम दर से कम दरें लगा सकते हैं। न्यूनतम मूल उधार दर (बीपीएलआर) तथा स्प्रेड दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा उधारकर्ताओं का पिछला रिकार्ड और जोखिम निर्धारण को विचार में लेकर बैंक उच्चतम दरों के भीतर ब्याज दरों का निर्णय कर सकते हैं।

बैंकों के ऋण उत्पादों के मूल्यन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे (i) निधियों की वास्तविक लागत, (ii) परिचालन के खर्चे और (iii) प्रावधान करने की विनियामक आवश्यकता/पूँजी प्रभार और लाभ का मार्जिन कवर करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखते हुए मूल उधार दर (बीपीएलआर) निर्धारित करें।

भाग - क
रुपया निर्यात ऋण

1. पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण

1.1 <u>रुपया पोतलदानपूर्व ऋण /पैकिंग ऋण</u>

1.1.1 <u>परिभाषा</u>

पोतलदानपूर्व /पैकिंग ऋण किसी बैंक द्वारा किसी निर्यातक को मंजूर किया गया या दिया गया ऐसा ऋण या अग्रिम है जो भारत से बाहर स्थित किसी आयातक द्वारा निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में खोले गए साख-पत्र के आधार पर या भारत से वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के लिए पुष्ट और अपरिवर्तनीय आदेश या निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति को भारत से बाहर निर्यात करने संबंधी आदेश के किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर (बशर्ते निर्यात आदेश **दिए जाने** या बैंक में साखपत्र खोले जाने से **छूट न दे दी गई हो)** पोतलदान से पहले वस्तुओं के **क्रय, प्रसंस्करण, विनिर्माण या पैकिंग कार्यों / सेवाएं देने के लिए कार्यकारी पूंजीगत व्यय के लिए** अपेक्षित वित्त के रूप में उपलब्ध कराया गया हो ।

1.1.2 <u>अग्रिम की अवधि</u>

(i) पैकिंग ऋण संबंधी अग्रिम कितनी अवधि के लिए दिया जाए, यह प्रत्येक मामले में माल प्राप्त करने/सेवाएं प्रदान करने में लगने वाले समय, उसके विनिर्माण या प्रसंस्करण (जहाँ आवश्यक हो) और माल को जहाज पर लादने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा। **यह मुख्यत: बैंक का दायित्व है कि वह विभिन्न परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए स्वयं निर्धारित करे कि पैकिंग ऋण संबंधी अग्रिम कितनी अवधि के लिए दिया जाए ताकि निर्यातक को इतना समय मिल सके कि वह माल को जहाज में लाद सके/ सेवाएं प्रदान कर सके।**

(ii) **अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर यदि निर्यात संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करके पोतलदानपूर्व अग्रिम समायोति नहीं कर दिया जाता तो निर्यातक को दिए गए अग्रिम पर प्रारंभ से ही रियायती ब्याज दर की सुविधा नहीं दी जाएगी।**

(iii) **भारतीय रिज़र्व बैंक केवल 180 दिन तक की अवधि के लिए ही पुनर्वित्त उपलब्ध कराएगा ।**

1.1.3 <u>पैकिंग ऋण का संवितरण</u>

(i) सामान्यत:, मंजूर किया गया प्रत्येक पैकिंग ऋण अलग-अलग खाते के रूप में रखा जाना चाहिए ताकि मंजूरी की अवधि और ऋण के उद्दिष्ट उपयोग पर नजर रखी जा सके ।

(ii) आदेश /साख-पत्र के कार्यान्वयन के लिए बैंक पैकिंग ऋण एक बार में या आवश्यकता के अनुसार कई चरणों में उपलब्ध करा सकते हैं ।

(iii) निर्यात की जानेवाली वस्तुओं के प्रकार के आधार पर (जैसे दृष्टिबंधक, बंधक इत्यादि) बैंक प्रसंस्करण, विनिर्माण इत्यादि विभिन्न चरणों पर अलग-अलग खाते रख सकते हैं तथा वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे खातों के बकाया शेषों का समायोजन, एक खाते से दूसरे खाते में अंतरण द्वारा और अंततोगत्वा क्रय, छूट, इत्यादि के उपरांत संबंधित निर्यात-दस्तावेजों की आय से, कर लिया जाता है ।

(iv) बैंकों को ऋण की राशि के उद्दिष्ट उपयोग पर कड़ी नजर रखनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराये गए ऋण का उपयोग निर्यात संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं के लिए ही किया जा रहा है। बैंकों को निर्यात संबंधी आदेशों के ठीक समय से कार्यान्वयन के मामले में निर्यातकों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी नजर रखनी चाहिए ।

1.1.4 <u>पैकिंग ऋण का परिसमापन</u>

(i) सामान्य

किसी निर्यातक को स्वीकृत किया गया पैकिंग ऋण /पोतलदानपूर्व ऋण को निर्यात की गई वस्तुओं की खरीद, छूट आदि के बाद बनाए गए बिलों की प्राप्तियों में से परिसमाप्त किया जाए। इस प्रकार पोतलदान पूर्व ऋण को पोतलदानोत्तर ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, निर्यातक और बैंकर के बीच आपसी सहमति के अधीन इसे, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ई ई एफ सी खाते) के शेष तथा निर्यातक द्वारा किए गए वास्तविक निर्यात के बराबर निर्यातक के रूपयों के संसाधनों से भी चुकता/समय से पूर्व अदा किया जा सकता है। यदि ऋण का इस प्रकार परिसमापन/ चुकौती न हो सके तो बैंक पैरा 4.2.3 में दर्शाए गए अनुसार अग्रिम की तिथि से ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ii) निर्यात मूल्य से अधिक पैकिंग ऋण

(क) जहाँ उप-उत्पाद का निर्यात किया जा सकता हो

जिन मामलों में काजू इत्यादि जैसे कृषि-उत्पादों के प्रसंस्करण के कारण होने वाली कमी के चलते निर्यातक पैकिंग ऋण को समाप्त करने के लिए समान मूल्य का निर्यात बिल प्रस्तुत नहीं कर सकता है, उनमें बैंक निर्यातकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वे काजू का तेल इत्यादि जैसे उप-उत्पादों से संबंधित आहरित निर्यात बिलों द्वारा अधिक पैकिंग ऋण का समापन कर सकें ।

(ख) जहाँ आंशिक घरेलू बिक्री की जा सकती हो

लेकिन तंबाकू, काली मिर्च, इलायची, काजू इत्यादि जैसे कृषि-आधारित उत्पादों के निर्यात के मामले में, निर्यातक उत्पाद थोड़ी अधिक मात्रा में खरीदे तथा उसे निर्यात योग्य व न निर्यात योग्य श्रेणियों में रखे और केवल निर्यात योग्य श्रेणी की वस्तुओं का ही निर्यात करे। न निर्यात योग्य शेष उत्पादों की स्थानीय बिक्री अनिवार्य है। जिस पैकिंग ऋण में ऐसी न निर्यात योग्य वस्तुएँ शामिल हों, उनमें बैंको के लिए आवश्यक है कि वे पैकिंग

ऋण दिए जाने की तारीख से ही, घरेलू अग्रिमों पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर से वाणिज्यिक दर पर ब्याज लें और पैकिंग ऋण के उतने भाग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी ।

ग) डीऑयल्ड/डीफैटेड केक का निर्यात

बैंक निर्यातकों को एच पी एस मूँगफली तथा डीऑयल्ड /डीफैटेड केक के निर्यातकों को पैकिंग ऋण अग्रिम मंजूर कर सकते हैं लेकिन यह राशि अपेक्षित कच्चे माल के मूल्य की सीमा तक होनी चाहिए, भले ही उसका (कच्चे माल का) मूल्य निर्यात आदेश के मूल्य से अधिक हो। निर्यात आदेश से अधिक राशि का अग्रिम रियायती ब्याज दर लगाए जाने के लिए तभी पात्र होगा जब कि उसका समायोजन नकद रूप में या शेष उप-उत्पाद तेल की बिक्री द्वारा अग्रिम की तारीख से तीस दिनों के भीतर कर दिया जाए ।

(iii) तथापि, बैंको को इस बात की **परिचालनगत छूट** है कि वे **अच्छे ट्रैक रिकार्ड** वाले निर्यातकों को निम्नलिखित छूट प्रदान कर सकें:

(क) निर्यात दस्तावेजों की आय से पैकिंग ऋण की चुकौती/का समापन किया जाता रहेगा। **लेकिन ऐसा, निर्यातक द्वारा निर्यात की गई किसी अन्य वस्तु या उसी वस्तु से संबंधित अन्य आदेश से संबद्ध निर्यात दस्तावेजों से भी किया जा सकता है।** संविदा के इस प्रकार प्रतिस्थापन की अनुमति देते समय बैंको को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा करना वाणिज्यिक दृष्टि से आवश्यक और अपरिहार्य है। बैंक को उन कारणों से संतुष्ट हो लेना चाहिए कि किसी खास वस्तु के पोतलदान के लिए दिया गया पैकिंग ऋण सामान्य तरीके से समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता। यदि निर्यातक ने संबंधित बैंक में खाता खोल रखा है या यदि सहायता संघ गठित किया गया है और इस संघ के सदस्यों ने अनुमति दे दी है तो संविदा के प्रतिस्थापन की अनुमति यथासंभव दी जानी चाहिए ।

ख) वर्तमान पैकिंग ऋण का समापन किसी ऐसे निर्यात दस्तावेज की आय से भी किया जा सकता है जिसके आधार पर निर्यातक ने कोई पैकिंग ऋण नहीं लिया है । फिर भी ऐसा संभव है कि निर्यातक किसी एक बैंक से पैकिंग ऋण लेकर संबंधित दस्तावेज किसी दूसरे बैंक में प्रस्तुत कर दे । इस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए बैंक ऐसी सुविधा यह सुनिश्चित करने के बाद उपलब्ध कराएँ कि निर्यातक ने प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के माध्यमसे किसी अन्य बैंक से पैकिंग ऋण नहीं लिया है।

(ग) सहयोगी संस्थाओं /अधीनस्थ संस्थाओं/उसी समूह की अन्य संस्थाओं को ऐसी छूट **नहीं प्रदान की जानी चाहिए ।**

1.1.5 'चालू खाता' सुविधा

(i) जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्यातकों को पोतलदानपूर्व ऋण सामान्यत: साखपत्र या निर्यात संबंधी पक्का आदेश प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रदान किया जाता है । यह पाया गया है कि कुछ मामलों में कच्चे माल की उपलब्धता किसी खास मौसम में ही होती है, कुछ अन्य

मामलों में निर्यात संबंधी संविदा के अनुसार माल के निर्यात के लिए जो समय-सीमा निश्चित की गयी होती उसकी तुलना में उस माल के विनिर्माण और उसके पोतलदान में अधिक समय लगता है। कई मामलों में विदेशी खरीददारों से साख-पत्र /पक्का निर्यात आदेश प्राप्त होने की आशा के आधार पर भी निर्यातकों को कच्चा माल खरीदकर निर्यात योग्य वस्तु का निर्माण करके पोतलदान के लिए तैयार रखना पड़ता है । ऐसे मामलों में, पर्याप्त पोतलदानपूर्व ऋण प्राप्त करने में निर्यातको को हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए बैंकों को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वे अपने विवेक के आधार पर, साख-पत्र या पक्का आदेश के पूर्व प्रस्तुतीकरण हेतु जोर डाले बिना भी, **किसी भी वस्तु** के मामले में पोतलदान पूर्व ऋण **'चालू खाता' (रनिंग एकाउंट)** सुविधा प्रदान करें लेकिन ऐसी स्थिति में निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी :

(क) बैंक 'चालू खाता' सुविधा केवल ऐसे निर्यातकों को उपलब्ध कराएँ जिनका **ट्रैक रिकार्ड अच्छा** हो। यह सुविधा निर्यातोंन्मुख इकाइयों/मुक्त व्यापार क्षेत्रों/ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को भी दी जा सकती है।

(ख) जिन मामलों में पोतलदानपूर्व ऋण चालू खाता सुविधा प्रदान की जाए उन सब में साखपत्र/पक्का आदेश उपयुक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा ऐसी अवधि का निर्धारण बैंक करेंगे ।

(ग) एक-एकनिर्यात बिल जैसे-जैसे बेचान /संग्रह के लिए प्राप्त हों बैंको को चाहिए कि पहले ऋण का पहले समापन के आधार पर सबसे पहले के बकाया पोतलदानपूर्व ऋण का समापन करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऊपर बताए गए तरीके से पोतलदानपूर्व ऋण का समापन करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी भी पोतलदानपूर्व ऋण की अवधि मंजूरी की अवधि या 360 दिन, दोनों में से जो भी पहले हो, से अधिक न होने पाए ।

(घ) पैकिंग ऋण का समापन ऐसे निर्यात दस्तावेज की आय से भी किया जा सकता है जिसके आधारपर निर्यातक ने कोई पैकिंग ऋण नहीं लिया है ।

(ii) यदि यह पाया जाए कि निर्यातक इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं तो यह सुविधा तुरंत वापस ले ली जाए ।

(iii) जिन मामलों में निर्यातक शर्तों का पालन नहीं करेंगे उनमें अग्रिमों पर **प्रारंभ से ही वाणिज्यिक दर पर ब्याज** लगाया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित पोतलदानपूर्व ऋणों के मामलों में बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक से लिए गए पुनर्वित्त पर उच्चतर दर पर ब्याज का भुगतान किया जाना होगा । ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001 को भेजी जानी चाहिए ताकि वह पुनर्वित्त पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर निश्चित कर सके ।

(iv) **उप-आपूर्तिकर्ताओं को चालू खाता सुविधा नहीं प्रदान की जानी चाहिए ।**

1.1.6 <u>पैकिंग ऋण पर ब्याज</u>

ब्याज दर का विवरण तथा उससे संबंधित अनुदेश पैराग्राफ 5 में दिए गए हैं ।

1.1.7 निर्यात संबंधी अग्रिम भुगतान वाले बैंक ड्राफ्टों इत्यादि की आय के आधार पर निर्यात ऋण

(i) जिन मामलों में निर्यातकों को निर्यात के लिए भुगतान के रूप में विदेश से चेकों, ड्राफ्टों इत्यादि के रूप में सीधे प्रेषण प्राप्त हों, उनमें अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले निर्यातकों को बैंक विदेश से प्राप्त चेकों, ड्राफ्टों इत्यादि की आय की वसूली तक की अवधि के लिए रियायती ब्याज दर पर निर्यात ऋण मंजूर कर सकते हैं परंतु ऐसा, इस बात से संतुष्ट होने के बाद किया जाना चाहिए कि यह किसी निर्यात आदेश पर आधारित है, संबंधित वस्तुओं के मामले में व्यापारिक प्रथाओं के अनुरूप है और प्रचलित नियमों के अनुसार निर्यात संबंधी आय की वसूली का यह अनुमोदित तरीका है ।

(ii) यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी न किए जाने तक किसी निर्यातक को सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर पर सहायता मंजूर की गयी है तो उपर्युक्त शर्तें बाद में पूरी कर लिए जाने पर बैंक पीछे की तारीख से रियायती दर पर ब्याज लगा सकते हैं और निर्यातक को ब्याज दरों में अंतर की राशि वापस कर सकते हैं ।

1.2 खास क्षेत्रों/खंडों को रुपया पोतलदानपूर्व ऋण

1.2.1 राज्य व्यापार निगमों/खनिज और धातु व्यापार निगम या अन्य निर्यात गृहों, एजेन्सियों इत्यादि के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए निर्माता आपूर्तिकर्ताओं को रुपया निर्यात पैकिंग ऋण

(i) बैंक ऐसे निर्माता आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात पैकिंग ऋण मंजूर कर सकते हैं जिनके पास निर्यात आदेश साखपत्र नहीं हैं और माल का निर्यात राज्य व्यापार निगमों/खनिज और धातु व्यापार निगम या अन्य निर्यात गृहों, एजेन्सियों इत्यादि के माध्यम से किया जाता है ।

(ii) ऐसे अग्रिम पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे, बशर्ते, सामान्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तों का भी पालन किया गया हो:

क) बैंक को निर्यात गृह से एक पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें निर्यात आदेश तथा उसके उस भाग का विवरण दिया गया हो जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया जाना है तथा जिसमें यह प्रमाण पत्र दिया गया हो कि निर्यात गृह ने आदेश के उस भाग के लिए, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया जाना है, कोई पैकिंग ऋण सुविधा न तो ली है और न ही बाद में ऐसी सुविधा लेगा ।

ख) बैंक को चाहिए कि वह आपसी विचार-विमर्श करके तथा निर्यात गृह और आपूर्तिकर्ता (यानि दोनों पक्षों) की निर्यात संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन दोनों - अर्थात् निर्यात गृह और आपूर्तिकर्ता के बीच पैकिंग ऋण की इस अवधि को विभाजित कर देगा जिसके लिए रियायती दर पर ब्याज लगाया जाना है। पोतलदानपूर्व ऋण पर निर्धारित अवधि तक रियायती दर पर लगाया जाने वाला ब्याज निर्यात गृह/एजेन्सी और आपूर्तिकर्ता दोनों को मिलाकर ही लिया जाएगा।

ग) निर्यात साखपत्रों या आदेशों का अपेक्षित विवरण देते हुए निर्यात गृह को आपूर्तिकर्ता के पक्ष में देशी साखपत्र खोल देना चाहिए तथा पैकिंग ऋण खाते से संबंधित बकायों को, ऐसे देशी साखपत्रों के अंतर्गत बिलों का बेचान करके, समाप्त किया जाना चाहिए। यदि निर्यात गृह के लिए आपूर्तिकर्ता के पक्ष में देशी साखपत्र खोलना असुविधाजनक हो तो आपूर्तिकर्ता को चाहिए कि वह निर्यात के लिए आपूर्ति किए गए माल के संबंध में निर्यात गृह पर बिलों का आहरण करे और ऐसे बिलों से प्राप्त आय से पैकिंग ऋण संबंधी अग्रिमों का समायोजन करे। यदि ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत आहरित बिलों के साथ लदान-पत्र या निर्यात संबंधी अन्य दस्तावेज न हों तो बैंक को हर तिमाही के अंत में आपूर्तिकर्ता के माध्यम से निर्यात गृह से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आपूर्ति की गयी वस्तुओं का वस्तुत: निर्यात किया गया है। प्रमाण-पत्र में संबंधित बिल की तारीख, राशि और बैंक का नाम दिया जाना चाहिए जिसके माध्यम से बिलों का बेचान किया गया है ।

घ) बैंकों को आपूर्तिकर्ता से इस आशय का वचन पत्र प्राप्त करना चाहिए कि संबंधित निर्यात आदेश के लिए निर्यात गृह से यदि कोई अग्रिम भुगतान प्राप्त होगा तो उसे पैकिंग ऋण खाते में जमा कर दिया जाएगा ।

1.2.2 <u>उप-आपूर्तिकर्ताओं को रुपया निर्यात पैकिंग ऋण</u>

जैसा कि निर्यात आदेश धारक तथा निर्माता आपूर्तिकर्ता के बीच होता है, उसी प्रकार निर्यात आदेश धारक तथा निर्यातित माल के कच्चे माल, घटकों इत्यादि के उप-आपूर्तिकर्ता के बीच भी पैकिंग ऋण विभाजित किया जा सकता है परन्तु इस मामले में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :

(क) **योजना के अंतर्गत चालू खाता सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।** योजना के अंतर्गत, निर्यात गृहों/व्यापार गृहों/स्टार व्यापार गृहों इत्यादि या निर्माता निर्यातकों के पक्ष में प्राप्त निर्यात आदेश या इनसे संबंधित साखपत्र ही शामिल होंगे। निर्यातक के अच्छे ट्रैक रिकार्ड के आधार पर ही इस योजना का लाभ उसे दिया जाना चाहिए।

(ख) निर्यात आदेशधारक के बैंकर देशी साखपत्र खोलेंगे। साखपत्र में उस माल का विवरण दिया जाएगा जिसकी आपूर्ति उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्यात संबंधी लेनदेन के अंग के रूप में, आदेश धारक को प्राप्त निर्यात आदेश या साख-पत्र के आधार पर निर्यात की जानेवाली है । ऐसे साखपत्र के आधार पर उप-आपूर्तिकर्ता का बैंकर कार्यशील पूँजी के रूप में निर्यात पैकिंग ऋण मंजूर करेगा ताकि उप-आपूर्तिकर्ता ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर सके जिनकी आवश्यकता निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए होती है। माल की आपूर्ति के बाद, साखपत्र खोलनेवाला बैंक खोले गए देशी साखपत्र के आधार पर प्राप्त देशी दस्तावेजों को आधार मानकर उप-आपूर्तिकर्ता के बैंक को भुगतान कर देगा। इसके बाद ऐसे भुगतान निर्यात आदेश धारक का निर्यात पैकिंग ऋण हो जाएँगे ।

(ग) यह निर्यात आदेश धारक पर निर्भर करता है कि वह प्राप्त आदेश या साखपत्र की समग्र सीमा के भीतर, अपने बैंकर /बैंकों के सहायता संघ के नेता के अनुमोदन से, अपेक्षित वस्तुओं के लिए कितने साखपत्र खोले। परिचालनगत सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह साखपत्र खोलने वाले बैंक पर निर्भर करता है कि वह साखपत्र खोले जाने के लिए न्यूनतम राशि कितनी निर्धारित

करे। आपूर्तिकर्ता(ओं) द्वारा व्यक्तिगत या पृथक रूप से तथा निर्यात आदेशधारक द्वारा लिए गए पैकिंग ऋण की कुल अवधि निर्यात की गयी वस्तुओं के लिए अपेक्षित सामान्य उत्पादन चक्र के भीतर होनी चाहिए । सामान्यत:, कुल अवधि की गणना उप-आपूर्तिकर्ताओं में से किसी एक द्वारा पैकिंग ऋण के प्रथम आहरण की तारीख से निर्यात आदेश धारक द्वारा निर्यात दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की तारीख तक की जाएगी ।

(घ) निर्यात आदेश धारक निर्यात आदेश या विदेश में खोले गए साखपत्र के अनुसार माल के निर्यात के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के विलम्ब के लिए वह समय-समय पर लागू किए जा रहे दांडिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई का पात्र होगा। उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा देशी साखपत्र की शर्तों के अनुसार निर्यात आदेशधारक को माल उपलब्ध करा दिए जाने के बाद, इस योजना के अंतर्गत उसका दायित्व सम्पादित मान लिया जाएगा तथा निर्यात आदेशधारक यदि किसी प्रकार से विलम्ब करेगा तो ऐसे विलम्ब के लिए उप-आपूर्तिकर्ता पर कोई दांडिक प्रावधान लागू नहीं होगा ।

(ङ) यह योजना निर्यातित माल के मामले में, निर्यात आदेश धारक तथा निर्माता के बीच पैकिंग ऋण की हिस्सेदारी की वर्तमान व्यवस्था के अलावा एक अतिरिक्त सुविधा है, जैसा कि उक्त पैरा 1.2.1 में बताया गया है । इस योजना के अंतर्गत **उत्पादन चक्र का केवल प्रथम चरण ही शामिल होगा।** उदाहरण के लिए, किसी निर्माता निर्यातक को ऐसे सामानों के अपने निकटतम आपूर्तिकर्ता के पक्ष में देशी साखपत्र खोलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्यातयोग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक हों। इस योजना का लाभ ऐसे निकटतम आपूर्तिकर्ताओं को कच्चे माल/सामानों की आपूर्ति करने वालों को नहीं दिया जाएगा। यदि निर्यात आदेशधारक मात्र व्यापार गृह है तो यह सुविधा उस निर्माता से आरंभ करके शुरूकरायी जाएगी जिसे व्यापार-गृह ने निर्यात आदेश हस्तांतरित किया है ।

(च)   निर्यात के प्रयोजन हेतु किसी दूसरी निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को माल की आपूर्ति करने वाली निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र भी इस योजना के अंतर्गत रुपया पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण प्राप्त करने का पात्र होंगे। तथापि निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की आपूर्तिकर्ता इकाई किसी पोतलदानोत्तर सुविधा के लिए पात्र नहीं होगी क्योंकि इस योजना के अंतर्गत वस्तुओं की उधार बिक्री शामिल नहीं है ।

(छ) इस योजना के अंतर्गत अग्रिम की कुल राशि या अवधि में कोई परिवर्तन करने का विचार समाहित नहीं है। तदनुसार, देशी निर्यात साखपत्र प्रणाली के अंतर्गत उप-आपूर्तिकर्ता को अग्रिम दिए जाने की तारीख से निर्यात आदेश धारक द्वारा उसे समाप्त किए जाने की तारीख तक और निर्यात आदेशधारक द्वारा वस्तुओं के पोतलदान के माध्यम से पैकिंग ऋण का परिसमापन किए जाने की तारीख तक इस व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया ऋण निर्यात ऋण माना जाएगा और इसके लिए संबंधित बैंक उपयुक्त अवधि के लिए रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक ही चरण के किसी लेनदेन के लिए दो बार वित्तपोषण न किया जाए ।

(ज) निर्यात ऋण गारंटी निगम से उपयुक्त बीमा सुविधा प्राप्त करने के लिए बैंक ऐसे अग्रिमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम से संपर्क कर सकते हैं ।

(झ) इस योजना के अंतर्गत उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्यात आदेश धारक /निर्माता को ऋण दिए जाने के संबंध में कोई बात नहीं कही गयी है। अत: साखपत्र खोलने वाले बैंक द्वारा, भुगतान को निर्यात आदेशधारक का निर्यात पैकिंग ऋण मानकर ही, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर उप-आपूर्तिकर्ताओंको भुगतान किया जाना है ।

1.2.3. <u>निर्माण ठेकेदारों को रूपया पोतलदानपूर्व ऋण</u>

(i) निर्माण ठेकेदारों को विदेशों में प्राप्त ठेकों को पूरा करने के लिए उनकी प्रारंभिक कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैकिंग ऋण अग्रिम, विदेश से प्राप्त सुनिश्चित संविदा के आधार पर, एक अलग खाते में दिए जाने चाहिए। लेकिन ऐसे अग्रिम ठेकेदारों से इस आशय का वचनपत्र प्राप्त करने के बाद ही दिए जाने चाहिए कि उन्हें संविदा संबंधी कार्य पूरा करने के लिए प्रारंभिक व्यय के रूप में, अर्थात विदेश में संविदा पूरी करने के प्रयोजन हेतु उपभोग्य वस्तुएँ खरीदने और आवश्यक तकनीकी स्टाफ के आवागमन पर खर्च इत्यादि हेतु, उक्त वित्त की आवश्यकता है ।

(ii) अग्रिमों का समायोजन, संविदा संबंधी बिलों का बेचान करके या विदेश में पूरी की गयी संविदा के संबंध में विदेश से प्राप्त प्रेषणों द्वारा, अग्रिम की तारीख से 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। खाते में बकाया जितनी राशि का समायोजन निर्धारित तरीके से नहीं हो पाता है, उतनी राशि के लिए बैंक सामान्य दर पर ब्याज लगा सकते हैं ।

(iii) सेवाओं के निर्यात सहित परियोजना निर्यात संविदाओं का काम करने वाले निर्यातकों को भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/अनुदेशों का पालन करना होगा ।

1.2.4 **सेवाओं का निर्यात**

व्यापार के सामान्य करार के अधीन आनेवाली व्यापार योग्य सभी 161 सेवाओं के निर्यातकों को पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर वित्त उन सेवाओं को प्रदान किया जाए जहां ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान 2004-09 कि विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में बताये अनुसार मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है । इस परिपत्र के सभी प्रावधान जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए तब तक यथोचित परिवर्तनों सहित निर्यात सेवाओं के निर्यात पर उसी तरह लागू होंगे जैसे कि वस्तुओं के निर्यात पर लागू होंगे। सेवाओं की सूची 2004-09 की विदेश व्यापार नीति की हैंडबुक (खंड I) के परिशिष्ट 36 में दी गयी है । वित्तपोषक बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई दोहरा वित्तपोषण न हो तथा निर्यात ऋण विदेश से प्राप्त होनेवाले प्रेषणों से चुकाया जाता है । निर्यात ऋण मंजूर करते समय बैंक निर्यातक/विदेश स्थित काउंटर पार्टी के ट्रेक रिकार्ड को ध्यान में रखें । ऐसे सेवा प्रदाताओं से निर्यात से प्राप्य राशियों के विवरण का विदेश स्थित पार्टी से प्राप्त देय राशि के विवरण के साथ मिलान किया जाए।

कारोबार के भिन्न-भिन्न स्वरूप और निर्यात की जानेवाली सेवाओं की श्रेणियों की बड़ी संख्या तथा प्रगामी अविनियमन के वातावरण को देखते हुए, जहां व्यष्टि प्रबंधन संबंधी मामलों का अलग-अलग वित्तपोषक बैंकों द्वारा निर्णय करने के लिए छोड़ दिया गया है, बैंक अपने स्वयं के मानदंड बना सकते हैं ।

सेवाओं के निर्यातक उपभोक्ता वस्तुओं, वेतन आपूर्तियों आदि के लिए कार्यकारी पूंजीगत निर्यात ऋण (पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर) हेतु पात्र हैं ।

बैंक यह सुनिश्चित करें कि -

- प्रस्ताव सेवाओं के निर्यात का वास्तविक मामला है ।
- सेवा निर्यात की मद हैंडबुक (खंड I) के परिशिष्ट 36 के अंतर्गत आती है ।
- निर्यातक सेवाओं के लिए निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत है ।
- यह निर्यात संविदा सेवा के निर्यात हेतु है ।
- कार्यशील पूंजीगत व्यय के परिव्यय और सेवा उपभोक्ता या विदेश में उसकी मूल संस्था से भुगतान की वास्तविक प्राप्ति के बीच अंतराल है ।
- वैध कार्यकारी पूंजीगत अंतराल है अर्थात् पहले सेवा प्रदान की जाती है जबकि इन्वाइस तैयार करने के कुछ समय बाद भुगतान प्राप्त किया जाता है ।
- बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई दोहरा/अतिरिक्त वित्तपोषण न हो ।
- दिया जानेवाला निर्यात ऋण यदि कोई मार्जिन अपेक्षित हो तो उसे घटराकर अजिर्तत विदेशी मुद्रा, प्राप्त अग्रिम भुगतान/ऋण से अधिक न हो ।
- इन्वाइस तैयार की जाती हैं ।
- आवक प्रेषण विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं ।
- कंपनी वहां संविदा के अनुसार इन्वाइस तैयार करेगी जहां भुगतान विदेश स्थित पार्टी से प्राप्त होता है, सेवा निर्यातक बैंक से लिये गये निर्यात ऋण की चुकौती के लिए निधियों का इस्तेमाल करेगा ।

1.2.5 <u>पुष्पोत्पादन, अंगूर और कृषि-आधारित अन्य उत्पादों के लिए पोतलदानपूर्व ऋण</u>

(i) पुष्पोत्पादन के मामले में, फूलों इत्यादि की खरीद तथा फूल तोड़े जाने के बाद पोतलदान के लिए किए गए सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पोतलदानपूर्व ऋण दिया जाता है ।

(ii) तथापि फूलों से संबंधित उत्पादों, अंगूरों और कृषि-आधारित अन्य उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए फूलों, अंगूरों की खेती, इत्यादि के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों व अन्य सामानों के क्रय सहित सभी कृषि-आधारित उत्पादों के निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्यशील पूँजी के प्रयोजन हेतु बैंक रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करा सकते हैं परन्तु शर्त यह

होगी कि बैंक इस स्थिति में हों कि वे ऐसी गतिविधियों की पहचान निर्यात से संबंधित गतिविधि के रूप में कर सकें तथा इनकी निर्यात संबंधी संभाव्यताओं के बारे में स्वयं संतुष्ट हो सकें, और साथ ही ये गतिविधियाँ नाबार्ड या किसी अन्य एजेंसी की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वित्तपोषण योजना के अंतर्गत शामिल न हों । यह ऋण पैकिंग ऋण के मामले में उसकी अवधि, मात्रा, परिसमापन इत्यादि से संबंधित सामान्य शर्तों पर दिया जा सकता है ।

(iii) निवेशों के लिए, जैसे विदेशी प्रौद्योगिकी, उपकरणों का आयात, भूमि विकास इत्यादि, या किसी ऐसी मद के लिए जिसे कार्यशील पूँजी न माना जा सके, निर्यात ऋण नहीं दिया जाना चाहिए ।

1.2.6 <u>प्रसंस्करणकर्ताओं / निर्यातकों को निर्यात ऋण-कृषि निर्यात क्षेत्र</u>

(i) देश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कृषि निर्यात जोन बनाए हैं। कृषि निर्यातोन्मुख इकाईयां (संसाधन) कृषि निर्यात जोन के भीतर तथा बाहर भी स्थापित की जाती हैं तथा ऐसी इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन एवं प्रसंस्करण को एकीकृत करना होगा । उत्पादक को किसानों के साथ कृषि का अनुबंध करना होगा तथा किसानों के उस समूह को गुणकारी बीज, कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रीएंटस और अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवानी होगी जिससे उत्पादक, निर्यात के लिए उत्पाद तैयार करने वाले कच्चे माल के तौर पर किसानों के उत्पाद खरीदेंगें। उस समूह को अच्छी गुणवत्ता के बीज, कीटनाशक सूक्ष्म पोषक तत्त्व तथा अन्य सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसलिए सरकार ने सुझाव दिया है कि किसानों को संबंधित सामानों की खरीद तथा आपूर्ति के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऐसी प्रसंस्करणकर्ता इकाइयों को पैकिंग ऋण दिया जाये ताकि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध हो सकें जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों को उगाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। निर्यातकर्ता ऐसे सामान थोक में खरीद / आयात कर सकेंगे जिसके चलते मात्रा में वृद्धि होने के कारण वस्तुएँ सस्ती पड़ेंगी।

(ii) निर्यातकों द्वारा किसानों को आपूर्ति किये गये सामानों को बैंक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से संबधित कच्चा माल समझें और किसानों द्वारा ऐसी फसलें उगाये जाने के लिये उन्हें अपेक्षित सामानों की लागत को पूरा करने के लिये प्रसंस्करणकर्ताओं / निर्यातकों को ऋण / निर्यात ऋण मंजूर करने पर विचार करें ताकि कृषि संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिल सके । इससे प्रसंस्करणकर्ता इकाइयाँ अपेक्षित सामान थोक में खरीद सकेंगी और पूर्व-निश्चित व्यवस्था के अनुसार किसानों को उनकी आपूर्ति कर सकेंगी ।

(iii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्यातकों ने खरीदी जाने वाली फसलों के लिए किसानों से और निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के लिए विदेशी खरीदारों से अपेक्षित समझौता कर रखा है । वित्तीय सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों को कृषि निर्यात क्षेत्रों मे स्थित परियोजनाओं का मूल्यांकन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रय/ विक्रय संबंधी व्यवस्थाएं संभव हैं तथा परियोजनाएँ उपयुक्त अवधि के भीतर कार्यान्वित की जा सकेंगी ।

(iv) निधियों के उद्दिष्ट उपयोग पर अर्थात् निर्यातक /मुख्य प्रसंस्करणकर्ता इकाई द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार, फसलें उगाने के लिये निर्यातकों द्वारा किसानों को सामानों के वितरण पर, बैंकों को नजर रखनी होगी।

(v) बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रचलित अनुदेशों के अनुसार पोतलदानपूर्व ऋण के समापन के लिये मंजूरी की शर्तो के अनुसार प्रसंस्करणकर्ता /निर्यातकर्ता इकाईयाँ अंतिम उत्पादों का निर्यात कर रहीं हैं।

2. पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण

2.1 परिभाषा

'पोतलदानोत्तर ऋण' किसी संस्था द्वारा, भारत से वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात करने वाले को, मंजूर किया गया ऋण या अग्रिम या कोई अन्य ऋण है जो विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट वसूली की अवधि के अनुसार वस्तुओं के पोतलदान/सेवाएं प्रदान करने के बाद ऋण उपलब्ध कराए जाने की तारीख से आरंभ करके निर्यात संबंधी आय की वसूली की तारीख तक, के लिए होता है तथा इसके अंतर्गत शुल्क वापसी के प्रतिफलस्वरूप या उसकी प्रतिभूति के आधार पर किसी निर्यातक को मंजूर किया गया कोई ऋण या अग्रिम या सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए प्रोत्साहन के रूप में निर्यातक को किया गया कोई नकदी भुगतान शामिल है। विदेशी मुद्रा विभाग के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार निर्यात आय की वसूली के लिए विनिर्दिष्ट अवधि पोतलदान की तारीख से 12 महीने तक है।

2.2 पोतलदानोत्तर ऋणों के प्रकार:

पोतलदानोत्तर अग्रिम मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में हो सकते हैं :

(i) खरीदे गए/बट्टाकृत/बेचे गए निर्यात बिल ।

(ii) वसूली के लिए बिलों के आधार पर अग्रिम ।

(iii) शुल्क वापसी के बदले अग्रिम/सरकार से वसूली योग्य कोई नकद प्रोत्साहन ।

2.3 पोतलदानोत्तर ऋण का समापनः

पोतलदानोत्तर ऋण का समापन निर्यात की गयी वस्तुओं के लिए विदेश से प्राप्त निर्यात बिलों की आय से किया जाना चाहिए । इसके साथ ही, निर्यातक और बैंकर के बीच आपसी सहमति के अधीन इसे, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी खाते) के शेष तथा कोई अन्य वित्तपोषण न किये गये (वसूली) जिलों से प्राप्त आय से भी चुकता/समय से पूर्व अदा किया जा सकता है । परंतु इस प्रकार से समायोजित निर्यात जिलों को निर्यातों से प्राप्त आय की वसूली के लिए ध्यान में लिया जाना जारी रहना चाहिए तथा इन्हें एक्सओएस विवरण में रिपोर्ट किया जाना जारी रहेगा ।

2.4 रुपया पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण

2.4.1 अवधि

(i) **माँग बिलों** के मामले में अग्रिम की अवधि फेडाई द्वारा निश्चित **सामान्य पारगमन अवधि** होगी।

(ii) **मीयादी बिलों के** मामले में पोतलदान की तारीख से **365 दिन की अधिकतम अवधि के लिए** ऋण दिया जा सकता है । इस अवधि में सामान्य पारगमन अवधि तथा यदि छूट की अवधि हो तो वह भी शामिल होगी। तथापि बैंकों को चाहिए कि वे पोतलदान ऋण अधिकतम 365 दिन की अवधि के लिए दिए जाने की आवश्यकता पर भली-भाँति गौर करें और निर्यातकों पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वे निर्यात से संबंधित आय कम से कम अवधि में वसूल कर लें ।

(iii) **'सामान्य पारगमन अवधि'** का आशय वह औसत अवधि है जो सामान्यतः बिल के बेचान /क्रय /डिस्काउंट की तारीख से संबंधित बैंक के नोस्रो खाते में बिल से संबंधित आय प्राप्त होने तक (जैसा फेडाई द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाता है) लगती है। **इस अवधि को विदेश स्थित गंतव्य पर माल के पहुँचने में लगने वाला समय नहीं समझना चाहिए ।**

(iv) अतिदेय बिल -

(क) माँग बिल के मामले में वह बिल है जिसका भुगतान सामान्य पारगमन अवधि समाप्त होने से पहले नहीं किया गया होता है, और

(ख) मीयादी बिल के मामले में वह बिल है जिसका भुगतान नियत तारीख को नहीं किया गया होता है ।

2.4.2 ब्याज दर ढाँचा

पोतलदानोत्तर ऋण का ब्याज दर ढाँचा और उससे संबंधित अनुदेश पैरा 4 में दिए गए हैं ।

2.4.3 निर्यात बिलों पर आहरित न की गयी शेष राशियों के बदले अग्रिम

कुछ वस्तुओं के निर्यात में निर्यातकों को संविदा के पोतपर्यत निःशुल्क मूल्य के 90 से 98 प्रतिशत भाग तक के लिए विदेशी क्रेता पर बिल आहरित करने की आवश्यकता पड़ती है तथा 'आहरित न किये गये शेष' की बकाया राशि का भुगतान विदेशी क्रेता वस्तुओं की गुणवत्ता/मात्रा के बारे में संतुष्ट होने के बाद करता है ।

आहरित न किए गए शेष का भुगतान आकस्मिक प्रकृति का होता है । बैंक अपने वाणिज्यिक विवेक और क्रेता के ट्रैक रिकार्ड के आधार पर, आहरित न किए गए शेषों के बदले रियायती ब्याज दर पर अग्रिम मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं। तथापि ऐसे अग्रिम अधिकतम केवल 90 दिनों की अवधि के लिए रियायती ब्याज दर के पात्र उस सीमा तक के लिए तब होंगे जब संबंधित अग्रिम की चुकौती विदेश से प्राप्त वास्तविक प्रेषणों द्वारा की जाए और ऐसे प्रेषण माँग बिलों के मामले में सामान्य पारगमन अवधि समाप्त हो जाने के बाद 180 दिनों के भीतर तथा मीयादी बिलों के मामले में निर्धारित तारीख को प्राप्त हो गए हों। 90 दिन के बाद की अवधी के लिए पोतलदानोत्तर स्तर पर 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' श्रेणी हेतु निर्दिष्ट ब्याज लगाया जाना चाहिए ।

2.4.4 प्रतिधारण धन के बदले अग्रिम

(i) टर्न-की परियोजनाओं /निर्माण संविदाओं के मामले में विदेशी नियोक्ता संविदा के सेवा संबंधी कार्यों के लिए क्रमिक भुगतान करता रहता है तथा क्रमिक भुगतानों का थोड़ा प्रतिशत प्रतिधारण धन के रूप में अपने पास रख लेता है जिसका भुगतान वह, संविदा के पूरा होने की तारीख के बाद निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर निर्धारित प्राधिकारियों से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद करता है ।

(ii) कभी-कभी टर्न-की परियोजनाओं के मामले में भी आपूर्ति भाग के बदले प्रतिधारण धन निर्धारित किया जा सकता है । उसी तरह उप-संविदाओं के मामले में भी ऐसा किया जा सकता है । प्रतिधारण धन का भुगतान आकस्मिक प्रकृति का है क्योंकि यह डिफेक्ट लाइबिलिटी है ।

(iii) प्रतिधारण धन के बदले अग्रिम की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए :

(क) संविदा के **सेवा भाग** से संबंधित प्रतिधारण धन के बदले **कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया** जाना चाहिए ।

(ख) निर्यातकों से कहा जाना चाहिए कि वे प्रतिधारण धन के बजाय यथासंभव उपयुक्त गारंटी प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें ।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ संचित प्रतिधारण धन के आकार, निर्यातक की नकदी-निधि संबंधी स्थिति पर उसके प्रभाव और प्रतिधारण धन के समय से प्राप्त होने के मामले में पिछले कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए बैंक कुछ गिने-चुने मामलों में **आपूर्ति भाग** से संबंधित प्रतिधारण धन के बदले अग्रिम मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं ।

(घ) प्रतिधारण धन का भुगतान, जहाँ संभव हो, साखपत्र द्वारा या बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत कर लिया जाना चाहिए ।

(ङ) संविदा की शर्तों के अनुसार जहाँ प्रतिधारण धन का भुगतान पोतलदान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना होता है, वहाँ बैंकों को अधिकतम 90 दिनों के लिए रियायती दर पर ब्याज लगाना चाहिए। 90 दिन से अधिक अवधि के लिए पोतलदानोत्तर स्तर पर 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' श्रेणी के लिए निर्धारित दर पर ब्याज लिया जाना चाहिए ।

(च) संविदा की शर्तों के अनुसार जहाँ प्रतिधारण धन का भुगतान पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के बाद किया जाना होता है और समरूपी अग्रिम की अवधि एक वर्ष से अधिक के लिए बढ़ा दी जाती है, वहाँ उसे आस्थगित भुगतान की शर्तों पर एक वर्ष से अधिक समय के लिए दिया गया पोतलदानोत्तर ऋण माना जाएगा और बैंक के पास ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।

(छ) प्रतिधारण धन के बदले दिए गए अग्रिम केवल उस सीमा तक रियायती ब्याज दर के पात्र होंगे जिस सीमा तक प्रतिधारण घन से संबंधित ऐसे अग्रिमों की चुकौती विदेशों से प्राप्त प्रेषणों से की जाती है तथा संविदा की शर्तों के अनुसार ऐसे भुगतान प्रतिधारण धन के भुगतान के लिए नियत तारीख से 180 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएँ ।

2.4.5 परेषण आधार पर निर्यात

(i) सामान्य

(क) परेषण आधार पर निर्यात किए जाने पर निर्यात संबंधी आय के प्रत्यावर्तन के मामले में कई तरह के दुरूपयोग की गुंजाइश रहती है।

(ख) इसलिए परेषण आधार पर निर्यात, पोतलदानोत्तर ऋण पर बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज की दरों के मामले में, एकमुश्त नकद बिक्री के आधार पर किए जाने वाले निर्यात के समरूप होना चाहिए। इस प्रकार परेषण आधार पर किए जाने वाले निर्यातों के मामले में निर्यात संबंधी आय के प्रत्यावर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा 365 दिन से अधिक की अवधि के लिए मंजूरी दिए जाने के बावजूद बैंक (बिलों की अवधि के आधार पर) केवल आनुमानिक नियत तारीख तक ही उपयुक्त रियायती ब्याज दर लगाएँगे तथा यह अवधि भी 365 दिनों से अधिक नहीं हो सकती ।

(ii) बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्नों का निर्यात

बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्नों का निर्यात अधिकांशतः परेषण आधार पर किया जाता है तथा निर्यातक विदेशों से प्राप्त प्रेषणों से अग्रिम की तारीख से 365 दिनों की अवधि के भीतर पोतलदानपूर्व ऋण खाते का समापन नहीं कर पाते हैं। इसलिए परेषण निर्यातों के मामले में निर्यात होते ही एक विशेष (पोतलदानोत्तर) खाते में बकाया शेषों को अंतरित करके बैंक पैकिंग ऋण संबंधी अग्रिमों का समायोजन कर लें। परंतु इस विशेष खाते का समायोजन भी विदेश से संबंधित आय प्राप्त होते ही यथाशीध्र कर लिया जाना चाहिए तथा ऐसा समायोजन निर्यात की तारीख से अधिकतम 365 दिनों की अवधि या रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त अवधि के भीतर कर लिया जाना चाहिए । विशेष (पोतलदानोत्तर) खाते में शेषराशियों के संबंध में रिज़र्व बैंक से कोई पुनर्वित्त **प्राप्त नहीं किया** जा सकेगा ।

(iii) निर्यात से संबंधित आय की वसूली को 12/15 माह तक की अवधि तक बढ़ाना

संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड वाले अलग-अलग निर्यातकों द्वारा आवेदन किए जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग)उपयुक्त मामलो में, निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में पोतलदान की तारीख से 12 महीने तक की लम्बी अवधि की अनुमति देता है ।

क) सीआइएस और पूर्व यूरोप के देशों को परेषण निर्यात ।

ख) रुपये में राज्य ऋणों की चुकौती के बदले रूस महा संघ को परेषण निर्यात ।

ग) ऐसे निर्यातक जिन्हें विदेश व्यापार नीति के अनुसार 'स्टेटस होल्डर' के रूप में प्रमाणित किया गया है ।

घ) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट और ऐसे यूनिट जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा बरायो-टेक्नोलॉजी पार्क योजनाओं के अधीन स्थापित किये गये हैं ।

3 जून 2008 के एपी (डीआइआर शृंखला) परिपत्र सं. 50 द्वारा विदेशी मुद्रा विभाग ने निर्यात आय की वसूली और प्रत्यावर्तन की अवधि निर्यात की तारीख से 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी है, जो एक वर्ष के बाद समीक्षा के अधीन है।

साथ ही, विदेश स्थित 'वेयर हाउस-कम-डिस्प्ले सेंटर' के माध्यम से निर्यातों के मामले में निर्यात से संबंधित आय की वसूली पोतलदान की तारीख से 15 महीने निश्चित की गयी है ।

बैंक ऐसे निर्यातकों को प्रारंभ से ही अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए पोतलदानोत्तर ऋण मंजूर कर सकते हैं । तदनुसार, अग्रिम की तारीख से 180 दिन तक की ब्याज दर मीयादी बिलों के लिए 180 दिन तक की अवधि हेतु लागू दर होगी। पोतलदान की तारीख से 180 दिन बाद बैंक ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि उक्त अवधि के भीतर बिक्री से संबंधित आय की वसूली नहीं हो पाती है तो पोतलदान की तारीख से 180 दिन से अधिक संपूर्ण अवधि पर 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण'- पोतलदानोत्तर पर लागू उच्चतर ब्याज दर लागू होगी।

तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) बैंकों को निर्यात ऋण के बदले पुनर्वित की सुविधा पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर दोनो स्तरों पर केवल 180 दिनों के लिए ही उपलब्ध कराएगा।

2.4.6. प्रदर्शनी और बिक्री के लिए वस्तुओं का निर्यात

बैंक विदेश में प्रदर्शनी और बिक्री के लिए भेजे गए माल के बदले निर्यातकों को पहले वित्त उपलब्ध करा सकते हैं और बिक्री पूरी हो जाने के बाद ऐसे अग्रिमों पर पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर - दोनों स्तरों पर निर्धारित अवधि तक छूट के रूप में रियायती ब्याजदर का लाभ दे सकते हैं । ऐसे अग्रिम अलग खातों में दिए जाने चाहिए।

2.4.7 आस्थगित भुगतान की शर्तों पर पोतलदानोत्तर ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पूँजीगत माल और उत्पादक वस्तुओं के निर्यात के मामले में बैंक आस्थगित भुगतान की शर्तों पर एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पोतलदानोत्तर ऋण मंजूर कर सकते हैं ।

2.5 शुल्क वापसी की पात्रता के बदले पोतलदानोत्तर अग्रिम

2.5.1 बैंक निर्यातकों को निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी के कवर के अंतर्गत तथा शुल्क वापसी संबंधी उनकी पात्रता के बदले पोतलदान अग्रिम, अंतिम मंजूरी और भुगतान न होने तक, सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनंतिम प्रमाण-पत्र के आधार पर, मंजूर कर सकते हैं ।

2.5.2 नौवहन बिल की निर्यात संवर्धन प्रति के आधार पर, जिसमें सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी किया गया ई जी एम नम्बर दिया होता है, निर्यातकों को प्राप्य शुल्क की वापसी के बदले, अग्रिम उपलब्ध कराया जा सकता है। जहाँ आवश्यक हो, वित्तपोषण करने वाला बैंक नामित बैंक के पास अपना लिएन नोट करा सकता है तथा इस प्रकार की व्यवस्था कर ली जानी

चाहिए ताकि सीमा शुल्क विभाग जब भी शुल्क वापसी की राशि खाते में जमा करे तब नामित बैंक संबंधित राशि वित्तपोषण करने वाले बैंक के खाते में अंतरित कर दे ।

2.5.3 शुल्क वापसी पात्रता के बदले मंजूर किए गए इन अग्रिमों पर रियायती दर पर ब्याज लगाया जाएगा और इसके लिए रिज़र्व बैंक से, अग्रिम की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए पुनर्वित्त भी उपलब्ध होंगे ।

2.6 **<u>ईसीजीसी समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर ऋण गारंटी योजना</u>**

2.6.1 निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. द्वारा शुरूकी गयी समग्र टर्न ओवर पोतलदानोत्तर ऋण गारंटी योजना में इस बात की व्यवस्था है कि निर्यातकों द्वारा पोतलदानोत्तर ऋण की चुकौती न किए जाने की स्थिति में बैंकों को सुरक्षा मिल सके । निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बैंक समग्र टर्न ओवर पोतलदानोत्तर पॉलिसी लेने पर विचार करें । इस योजना की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी निर्यात ऋण गारंटी निगम से प्राप्त कर ली जाए ।

2.6.2 चूँकि पोतलदानोत्तर गारंटी का मुख्य उद्देश्य बैंकों को लाभ प्रदान करना है, अत: बैंकों द्वारा ली गयी समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर ऋण गारंटी से संबंधित प्रीमियम का खर्च बैंक स्वयं उठाएँ और इसका दायित्व निर्यातकों पर **न** डाला जाए ।

2.6.3 जिन मामलों में कोई जोखिम निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा कवर किया जाने वाला है, उनमें भी लम्बे समय से बकाया निर्यात बिलों की वसूली के मामले में बैंकों को अपना प्रयास कम नहीं करना चाहिए ।

3. मानित निर्यात - रियायती रुपया निर्यात ऋण

3.1 बैंकों को इस बात की अनुमति है कि वे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एजेंसियों/फंडों (विश्व बैंक, आई बी आर डी, आई डी ए सहित) द्वारा सहायता प्राप्त/वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में आपूर्ति के लिए आदेशों के आधार पर उन पार्टियों को रियायती ब्याजदर पर रुपया पोतलदानपूर्व और आपूर्ति के बाद रुपया निर्यात ऋण उपलब्ध कराएँ जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विदेश व्यापार नीति में मानित निर्यात अध्याय के अंतर्गत समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं के अनुसार भारत सरकार द्वारा सामान्य निर्यात सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

3.2 पैकिंग ऋणों का समायोजन, इन एजेंसियों को की गयी माल की आपूर्ति के लिए किए जाने वाले भुगतानों से संबंधित मुक्त विदेशी मुद्रा से किया जाना चाहिए । इसकी चुकौती /समय से पूर्व चुकौती विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ई ई एफ सी खाते) के शेष से की जा सकती है, तथा निर्यातकों द्वारा वास्तविक रूप से की गई आपूर्ति के अनुपात में उनके रुपये संसाधनों से भी की जा सकती है ।

3.3 बैंक निम्नलिखित ऋण भी दे सकते हैं :

(i) रुपया पोतलदानपूर्व ऋण, और

(ii) समय-समय पर विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत उसी अध्याय के अंतर्गत मानित निर्यात के रूप में निर्दिष्ट अन्य वर्गीकृत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपूर्ति के बाद रुपया ऋण (अधिकतम 30 दिनों के लिए या माल प्राप्त करने वाले द्वारा भुगतान किए जाने की वास्तविक तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो) ।

3.4 आपूर्ति के बाद दिए गए अग्रिमों को 30 दिनों के बाद अतिदेय माना जाएगा। जिन मामलों में ऐसे अतिदेय ऋणों का समापन आनुमानिक नियत तारीख से 180 दिनों के भीतर (अर्थात अग्रिम की तारीख से 210 दिनों की अवधि बीतने से पूर्व) कर दिया जाता है उनमें बैंकों को ऐसी वर्धित अवधि के लिए, पोतलदानोत्तर स्तर पर ''अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण'' श्रेणी के लिए निर्धारित ब्याज लगाना चाहिए। यदि बिलों का भुगतान उपर्युक्त 210 दिनों के भीतर नहीं हो पाता है तो बैंकों को चाहिए कि वे अग्रिम की तारीख से 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण'-पोतलदानोत्तर श्रेणी के लिए निर्धारित ब्याज लें।

3.5 बैंक पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर - दोनों स्तरों पर दिए गए ऐसे रुपया निर्यात ऋणों के लिए रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

4. रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज

4.1 सामान्य

प्रत्येक बैंक अपने अपने देशी उधारकर्ताओं को जिस आधारभूत मूल उधारदर को आधार मानकर ऋण उपलब्ध कराते हैं, उसी दर से जोड़ कर, रुपया निर्यात ऋण के लिए अधिकतम ब्याजदर निश्चित की गयी है । अत: बैंक अधिकतम ब्याजदर के अंतर्गत कोई भी ब्याज लगाने के लिए स्वतंत्र हैं । इसके अलावा किसी भी श्रेणी के निर्यात ऋण के अंतर्गत भिन्न-भिन्न अवधि के लिए अधिकतम ब्याज दर निर्यात ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए संगत आधारभूत मूल उधार दर पर आधारित होनी चाहिए ।

4.1.1 एकनोस

एकनोस (ईसीएनओएस) का आशय ब्याज दर संरचना में अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण से है, जिसके लिए बैंक आधारभूत मूल उधार दर (बीपीएलआर) और स्प्रेड संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। एकनोस के संबंध में बैंकों को दंडस्वरूप ब्याज नहीं लगाना चाहिए ।

4.2 रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर

निर्यात ऋण की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए 1 मई 2009 से 31 अक्तूबर 2009 तक लागू ब्याज दरें वार्षिक 2.5 प्रतिशत अंक घटाकर बीपीएलआर से अधिक नहीं होंगी।

4.2.1 ब्याज दर ढाँचा

	निर्यात ऋण की श्रेणियां
1.	**पोतलदानपूर्व ऋण(अग्रिम की तारीख से)**
	(क) 270 दिन तक
	(ख) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी में शामिल, सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन (इंसेंटिव) पर - 90 दिन तक
2.	**पोतलदानोत्तर ऋण(अग्रिम की तारीख से)**
	(क) पारगमन अवधि के लिए मांग बिलों पर (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट)
	(ख) मीयादी बिल पर (निर्यात बिलों की मीयाद, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारगमन अवधि और जहां लागू हो वहां छूट की अवधि सहित कुल अवधि के लिए)की जमानत पर
	(i) 180 दिन तक
	(ii) गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत निर्यातकों के लिए 365 दिन तक
	(ग) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी में शामिल,सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन (इंसेंटिव) पर - 90 दिन तक
	(घ) आहरित न की गई शेष राशि पर (90 दिन तक)
	(ङ) पोतलदान की तारीख से 1 वर्ष में भुगतानयोग्य प्रतिधारण धन पर (केवल आपूर्ति भाग पर)(90 दिन तक)
बीपीएलआर : बेंच मार्क प्राइम लैंडिंग रेट **टिप्पणी** : 1. चूंकि ये उच्चतम दरें हैं, अतः बैंक उच्चतम दर से कम कोई भी दर लगा सकते हैं । 2. ऊपर निर्धारित अवधियों से अधिक अवधियों हेतु निर्यात ऋण की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए ब्याज दरें मुक्त हैं तथा बैंक बीपीएलआर और स्प्रेड दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर निर्धारित करने के लिए मुक्त हैं ।	

4.2.2 ब्याज दर लागू करना

समय-समय पर संशोधित की जानेवाली ब्याज की दर नये अग्रिमों पर और साथ ही जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए वर्तमान अग्रिमों की शेष अवधि के लिए भी लागू की जानी हैं।

4.2.3 पोतलदानपूर्व ऋण पर ब्याज

i) बैंक द्वारा निर्धारित दर पर 270 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण पर बैंकों को संबंधित श्रेणी के अंतर्गत निर्यात ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए लागू आधारभूत मूल उधार दर के आधार पर गणना की गयी अधिकतम दर के भीतर ब्याज लगाना चाहिए । ऋण की अवधि की गणना अग्रिम की तारीख से की जानी है ।

ii) यदि पोतलदानपूर्व अग्रिमों का समापन निर्यात दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर क्रय, डिस्काउंट आदि के बाद बिलों से प्राप्त राशि से अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर अथवा पैरा 1.1.4(i) में दर्शाए गए अनुसार नहीं हो पाता है तो संबंधित अग्रिम **आरंभ की तारीख** से ही रियायती ब्याजदर के लिए पात्र नहीं रह पाएगा ।

iii) जिन मामलों में पैकिंग ऋण की अवधि मंजूरी की मूल अवधि के बाद नहीं बढ़ायी जाती और निर्यात मंजूरी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद लेकिन अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर

संपादित हो पाता है, उनमें निर्यातक केवल मंजूरी की अवधि तक के लिए रियायती ऋण के लिए पात्र होगा । शेष अवधि के लिए 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' श्रेणी के लिए नियत दर पर ब्याज लिया जाएगा । इसके अलावा बैंकों को अवधि न बढ़ाए जाने के कारणों की सूचना निर्यातकों को देनी होगी ।

iv) जिन मामलों में पोतलदानपूर्व अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर निर्यात नहीं हो पाता है उनमें संबंधित ऋण 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' माना जाएगा और बैंक ऐसे ऋणों पर अग्रिम के आरंभ की तारीख से ही 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण - पोतलदापूर्व' श्रेणी के लिए निर्धारित ब्याज लेंगे ।

v) यदि निर्यात बिल्कुल हो ही नहीं पाता तो बैंकों को संबंधित पैंकिंग ऋण पर, अपने बैंक के निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित पारदर्शी नीति के आधार पर निश्चित किया गया देशी उधार दर पर ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज लेना चाहिए ।

4.2.4 <u>पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज</u>

निर्यात बिलों का शीध्र भुगतान

(क) माँग बिलों के आधार पर दिए गए अग्रिमों के मामले में यदि बिलों की वसूली सामान्य पारगमन अवधि की समाप्ति से पहले ही हो जाती है तो अग्रिम की तारीख से आरंभ करके ऐसे बिलों की वसूली की तारीख तक के लिए रियायती दर पर ब्याज लिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए माँग बिलों की वसूली की तारीख वह मानी जाएगी जिस तारीख को बिल की राशि बैंक के नोस्ट्रो खाते में जमा हो पाएगी ।

(ख) मीयादी निर्यात बिलों के आधार पर दिए गए अग्रिम/ऋण के मामले में रियायती दर पर ब्याज केवल आनुमानिक/वास्तविक नियत तारीख तक या उस तारीख तक के लिए लगाया जाएगा जिस तारीख को निर्यात संबंधी आय बैंक के विदेश स्थित नोस्त्रो खाते में जमा हो पाएगी (इन दोनों तारीखों में से जो भी पहले हो), भारत में उधारकर्ता/निर्यातक के खाते में संबंधित राशि चाहे जिस तारीख को जमा हो। जिन मामलों में सही नियत तारीख की पुष्टि, विदेश स्थित क्रेता द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण या अन्यथा, ऋण लिए जाने के पहले ही/तत्काल बाद हो जाती है, उनमें रियायती दर पर ब्याज केवल वास्तविक नियत तारीख तक के लिए ही लगाया जाएगा, आनुमानिक नियत तारीख चाहे कुछ भी निश्चित की गयी हो, बशर्ते वास्तविक नियत तारीख आनुमानिक नियत तारीख से पहले पड़ती हो।

(ग) यदि माँग बिलों के मामले में संपूर्ण सामान्य पारगमन अवधि के लिए या ऊपर (ख) पर उल्लेख किये अनुसार मीयादी बिलों के मामले में आनुमानिक/वास्तविक नियत तारीख तक के लिए ब्याज बिलों के बेचान/क्रय/डिस्काउंट के समय ही ले लिया गया है तो वसूली की तारीख से आरंभ करके सामान्य पारगमन अवधि की अंतिम तारीख/आनुमानिक नियत तारीख/वास्तविक नियत तारीख तक के लिए लिया गया अधिक ब्याज वापस कर दिया जाना चाहिए ।

4.2.5 <u>अतिदेय निर्यात बिल</u>

(i) निर्यात बिलों के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी अधिकतम दर के अंदर बैंक द्वारा निश्चित किए गए ब्याज की दर, बिल की नियत तारीख तक (माँग बिल के

मामले में सामान्य पारगमन अवधि तक और मीयादी बिल के मामले में निर्दिष्ट अवधि तक) के लिए लागू होगी।

(ii) नियत तारीख से बाद की अवधि अर्थात अतिदेय अवधि के लिए अग्रिम की तारीख से 180 दिन तक अगली सूचना तक पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण को यथालागू निर्धारित ब्याज दर (बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशतता बिंदु घटाकर आनेवाली दर से अनधिक) लागू होगी।

4.2.6 रुपया संसाधनों में से समायोजित पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज

जिन पोतलदानोत्तर अग्रिमों का समायोजन विदेशी मुद्रा उपस्थित न हो पाने के कारण अनुमोदित तरीके से नहीं हो पाता है, तथा उनका समायोजन निर्यात-परेषण के चलते निर्यात ऋण गारंटी निगम के पास प्रस्तुत किए गए दावों के निपटान से प्राप्त निधियों में से किया जाता है, उन पर ब्याज लगाए जाने के मामले में, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को निम्ननिखित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

(क) कुछ देशों को किए गए निर्यातों के मामले में, क्रेताओं द्वारा स्थानीय स्तर पर भुगतान कर दिए जाने के बावजूद, सरकारों/केन्द्रीय बैंक प्राधिकारियों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के कारण उनके द्वारा विदेशी मुद्रा न भेजे जाने के चलते निर्यातक निर्यात संबंधी आय वसूल नहीं कर पाते हैं। ऐसे मामलों में अन्तरण में होने वाले विलम्ब के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम निर्यातकों को सुरक्षा प्रदान करता है । जिन मामलों में निर्यात ऋण गारंटी निगम ने दावों को स्वीकार कर लिया है और अंतरण में होने वाले विलम्ब के लिए राशि का भुगतान कर दिया है, उनमें पोतलदानोत्तर अग्रिम के पोतलदान की तारीख से छः माह के बाद तक बकाया रहने के बावजूद बैंक 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण -पोतलदानोत्तर' श्रेणी के लिए लागू दर पर ब्याज ले सकते हैं । ऐसा ब्याज अग्रिम की पूरी राशि पर लगाया जाएगा तथा इसका संबंध इस बात से बिल्कुल नहीं होगा कि निर्यात ऋण गारंटी निगम 90 प्रतिशत /75 प्रतिशत भाग तक ही दावों को स्वीकार करता है तथा निर्यातकों को शेष 10 प्रतिशत /25 प्रतिशत भाग अपने स्वयं के रुपया संसाधनों से ले आना पड़ता है।

(ख) जिन मामलों में घरेलू वाणिज्यिक दर पर या अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण श्रेणी के लिए लागू दर पर अनुमत ब्याज लिया गया है उनमें यदि निर्यात संबंधी आय की वसूली अनुमोदित तरीके से बाद में हो जाती है तो, पहले ही लिए जा चुके ब्याज और उक्त तरीके से लिए जाने योग्य ब्याज के अंतर की राशि बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को वापस कर दी जानी चाहिए परन्तु ऐसा करने से पहले ऐसी वसूली की वस्तुस्थिति सन्तोषजनक साक्ष्यों के माध्यम से सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए। खातों का समायोजन करते समय, अधिक ब्याज की वापसी की संभावना की जानकारी उधारकर्ता को दे देना बेहतर होगा।

4.2.7 बिल की अवधि में परिवर्तन

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) ने निर्यातकों के अनुरोध पर बैंकों को इस बात की अनुमति दी है कि वे मूल क्रेता/परेषिती पर आहरित बिलों के मामले में बिलों की अवधि में परिवर्तन की अनुमति दें परंतु शर्त यह होगी कि भुगतान की संशोधित नियत तारीख

निर्यात आय की वसूली के लिए विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम अवधि से आगे की न हो।

(ii) ऐसे मामलों में तथा जिन मामलों में पोतलदान की तारीख से बारह महीने तक अवधि परिवर्तन की अनुमति दी गई हैं, उनमें बैंक संशोधित आनुमानिक नियत तारीख तक रियायती दर पर ब्याज लगा सकते हैं, परंतु यह रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों के संबंध में जारी किए गए निदेशों के अनुरूप होना चाहिए ।

4.3 रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता

वर्ष 2007 में सरकार ने 1 अप्रैल 2007 से 30 सितंबर 2008 तक की अवधि के लिए निर्यातकों की नौ विनिर्दिष्ट श्रेणियों, अर्थात वस्त्र (हथकरघा सहित), तैयार कपड़े, चमड़े की वस्तुएं, हस्तशिल्प, इंजिनीयरिंग उत्पाद, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, खेल सामग्री और खिलौनों को तथा लघुतम उद्यमों, लघु उद्यमों और मध्यम उद्यमों के रूप में परिभाषित एसएमई क्षेत्र के सभी निर्यातकों द्वारा लिए गए रुपया निर्यात ऋणों पर प्रति वर्ष 2 प्रतिशत अंकों की ब्याज दर सहायता प्रदान करने के उपायों का एक पैकेज घोषित किया है। तदनुसार, बैंक 1 अप्रैल 2007 से 30 सितंबर 2008 तक की अवधि के लिए 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण और 90 दिन तक के पोतलदानोत्तर ऋण की बकाया राशि पर ब्याज दर बदलकर बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत घटाकर आनेवाली दर से अनधिक ब्याज दर करेंगे। 6 अक्तूबर 2007 को इसमें जूट और कालीन, प्रसंस्कृत काजू, कॉफी और चाय, सॉल्वेंट एक्स्ट्रॅटेड डीऑइलड केक, प्लास्टिक और लिनोनियम का भी समावेश किया गया।

साथ ही, उक्त योजना के अंतर्गत शामिल चमड़ा और चमड़ा विनिर्माता, समुद्री उत्पाद, सभी वस्त्रोद्योग श्रेणियों जिनमें आरएमजी और कालीनों का समावेश है पर हस्तनिर्मित धागा और हस्तशिल्प शामिल नहीं है, के मामले में सरकार ने 1 नवंबर 2007 से 30 सितंबर 2008 तक 180 दिवसीय पोतलदानपूर्व ऋणों और 90 दिवसीय पोतलदानोत्तर ऋणों में 2 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता (इसके पहले प्रस्तावित 2 प्रतिशत के अलावा) का प्रावधान किया है (कालीन क्षेत्र के लिए पोतलदानपूर्व ऋण 270 दिन के लिए उपलब्ध होंगे) तथापि, कुल ब्याज सहायता इस शर्त के अधीन होगी कि ब्याज सहायता के बाद की ब्याज दर 7 प्रतिशत, अर्थात प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के अधीन कृषि क्षेत्र पर लागू दर, से कम न हो।

उसके बाद दिसंबर 2008 में सरकार ने 1 दिसंबर 2008 से 30 सितंबर 2009 तक की अवधि के लिए कुछ रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों जैसे वस्त्र (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा लघु और मध्यम उद्यमों, के लिए पुन: एक ब्याज दर सहायता योजना घोषित की है।तदनुसार, बैंक 1 दिसंबर 2008 से 30 सितंबर 2009 तक की अवधि के लिए 270 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण और 180 दिन तक के पोतलदानोत्तर ऋण की बकाया राशि पर बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत घटाकर आनेवाली दर से अनधिक ब्याज दर प्रभारित करेंगे।

बैंकों को चाहिए कि वे 2 प्रतिशत/4 प्रतिशत ब्याज दर सहायता का लाभ पूर्णत: और सीधे पात्र निर्यातकों को दें और स्वतंत्र लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित दावो को प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर सहायता की प्रतिपूर्ति बैंकों द्वारा प्रस्तुत तिमाही दावों के आधार पर की जाएगी।

भाग - ख

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण

5.1 विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण (पीसीएफसी)

5.1.1 सामान्य

निर्यातकों को अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे निर्यातकों को निर्यातित वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली देशी या आयातित सामग्री के लिए लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर से संबद्ध दरों पर विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दें ।

5.1.2 योजना

(i) यह योजना भारतीय निर्यातकों को अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा ब्याज दरों पर पोतलदानपूर्व ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा है । यह केवल नकदी निर्यातों के मामले में लागू होगी ।

(ii) निर्यात वित्त प्राप्त करने के लिए निर्यातकों के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे :

(क) वह पोतलदानपूर्व ऋण रुपये में ले और बाद में पोतलदानोत्तर ऋण तो रुपये में ले या निर्यात बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत जिसका विवरण पैरा 6.1 में दिया गया है) निर्यात बिलों की बट्टे पर भुनाई /पुनर्भुनाई कराए ।

(ख) पोतलदानपूर्व ऋण विदेशी मुद्रा में ले और निर्यात बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत निर्यात बिलों की विदेशी मुद्रा में बट्टे पर भुनाई /पुनर्भुनाई कराए ।

(ग) पोतलदानपूर्व ऋण रुपये में ले और बैंक के विवेकानुसार आहरणों को विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण में परिवर्तित करे ।

(iii) मुद्रा का विकल्प

(क) यह सुविधा परिवर्तनीय मुद्राओं जैसे अमेरिकी डालर, पौंड स्टर्लिंग, जापानी येन, यूरो इत्यादि में से किसी एकमुद्रा में उपलब्ध करायी जाए ।

(ख) यह उचित होगा कि बैंक किसी दूसरी परिवर्तनीय मुद्रा में इनवॉयस किए हुए निर्यात आदेश के मामले में किसी भी एक परिवर्तनीय मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दें ताकि निर्यातकों को परिचालनगत लचीलापन उपलब्ध रहे। उदाहरणार्थ यदि किसी निर्यात आदेश का इनवॉयस यूरो में तैयार किया गया है तो निर्यातक अमेरिकी डालर में पोतलदानपूर्व ऋण ले सकता है । किसी अन्य मुद्रा में लेनदेन करने से संबंधित जोखिम और लागत निर्यातक को वहन करना पड़ेगा ।

(ग) बैंकों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे एशियाई समाशोधन संगठन के सदस्य देशों को किए जानेवाले निर्यातों के लिए विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दें ।

(घ) निर्यात बिलों की वसूली के बाद या परिणामी निर्यात बिलों की 'दायित्व रहित' आधार पर पुनर्भुनाई के बाद ही निर्यातकों को देय सुविधा का लाभ मिल सकेगा ।

5.1.3 बैंकों के लिए निधि का स्रोत

(i) विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण के वित्तपोषण के लिए, बैंकों के पास विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों, निवासी विदेशी मुद्रा खातों और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत उपलब्ध विदेशी मुद्रा शेषों का उपयोग किया जा सकता है।

(ii) बैंकों को इस बात की भी अनुमति दी गयी है कि वे इस प्रयोजन के लिए एस्क्रो खातों और निर्यातक विदेशी मुद्रा खातों में उपलब्ध विदेशी मुद्रा शेषों का भी उपयोग करें परन्तु ऐसा करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अनुमत लेनदेनों के लिए खाताधारकों द्वारा माँगी गयी राशि उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें दी जा रही है और व्यापक सुविधा के अंतर्गत खाते में अधिकतम राशि रखने संबंधी अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है ।

(iii) विदेशी मुद्रा में ऋण

(क) इसके अलावा बैंक विदेशों से भी **ऋण** की व्यवस्था कर सकते हैं। बैंक निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण देने के प्रयोजनार्थ, रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भी, विदेशी बैंकों से ऋण संबंधी व्यवस्था के लिए समझौता कर सकते हैं बशर्ते ऐसे ऋण के लिए ब्याज छ: माह की अवधि हेतु, लिबॉर/यूरो लिबॉर /यूरीबॉर से 150 आधार अंक से अधिक न हो ।

(ख) बैंक विदेशी बैंकों से लिए गए ऋण का केवल विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत निर्यातकों को ऋण प्रदान करने के लिए उपयोग करे । तथापि जिन मामलों में ऋण देने वाले विदेशी बैंक ने आहरण के लिए न्यूनतम राशि निश्चित की है (जो बहुत बड़ी राशि नहीं होगी), उनमें बैंक को ऐसे छोटे अप्रयुक्त भाग का प्रबंधन विदेशी मुद्रा संबंधी अपनी समस्थिति और समग्र अंतर सीमा के अंतर्गत करना चाहिए। उसी प्रकार निर्यातक द्वारा किए जाने वाले किसी पूर्व भुगतान को भी विदेशी मुद्रा संबंधी समस्थिति और समग्र अंतर सीमा के अंतर्गत लिया जाना चाहिए।

(ग) यदि बैंक स्वयं विदेश से ऋण प्राप्त न कर पाएँ तो उन्हें **भारत में ही अन्य बैंकों** से ऋण लेना चाहिए लेकिन इस शर्त के अधीन कि यदि बैंक की विदेश में शाखा नहीं है तो निर्यातक के लिए ऐसे ऋण पर आनेवाली अधिकतम लागत लिबॉर / यूरो लिबॉर/यूरीबॉर पर 350 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए। उधार लेने वाले और उधार देने वाले बैंक के बीच का स्प्रेड संबंधित बैंक के विवेक पर छोड़ दिया गया है ।

(iv) यदि निर्यातकों ने आयातित सामानों को प्राप्त करने के लिए 'आपूर्तिकर्ता के ऋण' की व्यवस्था कर ली है तो बैंक विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण सुविधा निर्यात से संबंधित देशी वस्तुओं के वित्तपोषण के प्रयोजन हेतु ही उपलब्ध कराएँ।

(v) अधिसूचना सं. एफईएमए. 3/2000 आरबी दिनांक 3 मई 2000 के पैरा 4.2 (i) के अनुसार बैंकों को विदेशी मुद्रा निधि का आहरण कर के उपयोग करने की अनुमति दी गयी है तथा वे विदेशी मुद्रा में लदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी) प्रदान करने के लिए घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में खरीदी-बिकाई के आदान-प्रदान से विदेशी मुद्रा निधि ला सकते हैं, जोकि रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा अनुमोदित सकल अंतर सीमा (एजीएल) के अनुरूप होना चाहिए।

5.1.4 स्प्रेड

(i) विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले पोतलदानपूर्व ऋण पर स्प्रेड लिबॉर /यूरो लिबॉर/यूरीबॉर (6 माह) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ दर से जुड़ा होगा ।

(ii) निर्यातक को दिए जाने वाले ऋण पर लिया जानेवाला ब्याज विथोल्डिंग टैक्स को छोड़कर, लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर पर 350 आधार अंक से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(iii) लिबॉर /यूरो लिबॉर /यूरीबॉर दरें सामान्यत: 1,2,3,6 और 12 महीनों की मानक अवधि के लिए उपलब्ध हैं । यदि विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण छ: माह से कम अवधि के लिए चाहिए तो बैंक मानक अवधि के आधार पर दरें कोट कर सकते हैं । तथापि, मानक अवधि से भिन्न अवधि के लिए दरें कोट करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोट की गयी दर अगली उच्चतर मानक अवधि दर से नीचे हो ।

(iv) बैंक विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण पर, मासिक अंतराल पर ब्याज की वसूली विदेशी मुद्रा की बिक्री पर या विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते के शेष में से या यदि विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी) का समापन हो गया हो तो निर्यात बिलों के बट्टागत मूल्य पर कर सकते है।

5.1.5 ऋण की अवधि

(i) विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण, रुपया ऋण की ही तरह, आरंभ में अधिकतम 360 दिन की अवधि के लिए दिया जाएगा। ऋण की अवधि में कोई भी वृद्धि उन्हीं शर्तों पर की जाएगी जो शर्तें रुपया पैकिंग ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के मामले में लागू होती हैं और इस पर, अवधि बढ़ाए जाते समय 180 दिन की मूल अवधि के लिए जो ब्याज लागू होता है, उससे 200 अधार अंक अधिक ब्याज लिया जाएगा ।

(ii) ऋण की अवधि में और अधिक वृद्धि संबंधित बैंक द्वारा निश्चित की गयी शर्तो पर होगी तथा यदि 360 दिनों के भीतर निर्यात नहीं किया जा सकेगा तो विदेशी मुद्रा में दिए गए पोतलदानपूर्व ऋण का समायोजन संबंधित मुद्रा की टी.टी. बिक्री दर पर कर लिया जाएगा । ऐसे मामलों में संबंधित बैंक विदेश में लिए गए ऋण/की गयी ऋण व्यवस्था की चुकौती/देय ब्याज की चुकौती के लिए विदेशी मुद्रा का प्रेषण कर सकते हैं तथा इसके लिए उन्हें रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

(iii) विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण की अवधि 180 दिन से कम समय में बढ़ाए जाने के लिए बैंकों को मूल राशि के निश्चित रोल ओवर आधार पर, बढ़ायी गयी अवधि के लिए लागू लिबोर / यूरो लिबोर / यूरीबॉर दर + अनुमत मार्जिन से (लिबॉर /यूरो लिबॉर /यूरीबॉर से 350 आधार अंक अधिक प्रभारित करने की अनुमति दी गयी है ।

5.1.6 विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का संवितरण

(i) यदि विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की पूरी राशि या उसके किसी भाग का उपयोग देशी सामानों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है तो बैंक संबंधित लेन देन के लिए उपयुक्त स्पॉट दर लगाएँ ।

(ii) जहाँ तक लेनदेन की न्यूनतम मात्रा का संबंध है, यह बैंकों पर निर्भर करेगा कि वे अपने पास संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए अपनी परिचालनगत सुविधा के अनुसार ऐसी न्यूनतम मात्रा स्वयं निश्चित करें । तथापि न्यूनतम मात्रा निश्चित करते समय बैंकों को चाहिए कि वे अपने छोटे ग्राहकों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें ।

(iii) बैंकों को अपनी कार्यविधि सरल और कारगर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि पैकिंग ऋण सीमा प्राधिकृत कर दिए जाने के बाद विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के लिए अलग से मंजूरी की आवश्यकता न पड़े तथा शाखाओं के स्तर पर संवितरण में विलम्ब न हो ।

5.1.7 विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण खाते का समापन

(i) सामान्य

विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन पैरा 6.1 में दी गयी निर्यात बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत डिस्काउंटिंग/रीडिस्काउंटिंग के लिए निर्यात दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त आय से अथवा विदेशी मुद्रा कर्ज (डीपीबिल) प्रदान कर दिया जाना चाहिए। बैंकर और निर्यातक के आपसी समझौते से इसकी विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी खाते) के शेष तथा जिस सीमा तक निर्यात हुआ है उस सीमा तक निर्यातक के रुपये कोष से भी चुकौती / पहले ही भुगतान किया जा सकता है ।

(ii) पोतपर्यंत नि:शुल्क मूल्य से अधिक पैकिंग ऋण

कुछ मामलों में (जैसे एच पी एस ग्राउंडनट, डीफैटेड और डीआयल्ड केक, तंबाकू, मिर्च, बादाम, काजू इत्यादि कृषि आधारित उत्पाद) जिनमें पोतपर्यंत नि:शुल्क मूल्य से अधिक राशि के पैकिंग ऋण की आवश्यकता पडती है, उनमें विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण, उत्पाद के केवल निर्यात योग्य भाग के लिए ही प्राप्त होगा ।

(iii) आदेश / वस्तु का प्रतिस्थापन

विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन किसी **अन्य ऐसे आदेश से संबंधित निर्यात दस्तावेजों से भी किया जा सकता है जिसके अंतर्गत निर्यातक द्वारा निर्यात की गई वही वस्तु या कोई अन्य वस्तु शामिल हो।** संविदा के इस प्रकार प्रतिस्थापन की अनुमति देते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा करना वाणिज्यिक दृष्टि से आवश्यक और अपरिहार्य है । बैंकों को उन वास्तविक कारणों के बारे में भी संतुष्ट हो लेना चाहिए जिनके चलते किसी खास वस्तु के पोतलदान के लिए दिया गया विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण सामान्य तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। जहाँ तक संभव हो, संविदा के प्रतिस्थापन की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब निर्यातक का खाता उसी बैंक में हो या यदि ऋण के लिए सहायता संघ बनाया गया है तो ऐसे संघ ने संविदा के प्रतिस्थापन के लिए अनुमोदन दिया हो।

5.1.8 निर्यात आदेश निरसन होना /पूरा न कर पाना

(i) जिस निर्यात आदेश के लिए निर्यातक ने बैंक से विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लिया था, उस आदेश के निरसन हो जाने पर या किसी कारण से यदि निर्यातक निर्यात आदेश को कार्यान्वित नहीं कर पाता तो यह उचित होगा कि निर्यातक बैंक के माध्यम से देशी बाजार से विदेशी मुद्रा (मूलधन + ब्याज) का क्रय करके ऋण और उसपर देय ब्याज चुका दे । ऐसे मामलों में, मूल राशि के बराबर रुपये पर पोतलदानपूर्व स्तर पर इसीएनओएस श्रेणी के लिए लागू दर पर ब्याज लगाया जाएगा और साथ ही विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण पर पहले ही वसूले जा चुके ब्याज का समायोजन करने के बाद, बैंक के निर्णय के अनुसार अग्रिम की तारीख से दंडात्मक ब्याज भी लगाया जाएगा।

(ii) बैंकों के लिए यह भी उचित होगा कि वे संबंधित राशि विदेश स्थित बैंक को प्रेषित कर दें बशर्ते विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण उस बैंक से ली गई ऋण राशि से निर्यातक को उपलब्ध कराया गया था ।

(iii) बैंक बाद में यह सुनिश्चित करने के बाद कि ऐसे ऋण को पहले उचित कारणों के आधारपर निरसन किया गया था, ऐसे निर्यातकों को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण दे सकते हैं ।

5.1.9 सभी वस्तुओं के लिए चालू खाता सुविधा

(i) बैंक विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण योजना के अंतर्गत निर्यातकों को सभी वस्तुओं के लिए, रुपया ऋण के अंतर्गत उपलब्ध सुविधा के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन ''चालू खाता'' सुविधा दे सकते हैं :

क. यह सुविधा तभी दी जानी चाहिए जब निर्यातक ने बैंक की संतुष्टि के अनुसार यह साबित कर दिया हो कि ञ्चालू खाताट की सुविधा दिया जाना आवश्यक है ।

ख. बैंक यह सुविधा केवल उन्हीं निर्यातकों को दें जिनका ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो।

ग. उन सभी मामलों में, जिनमें पोतलदानपूर्व 'चालू खाता' सुविधा प्रदान की गयी है, साखपत्र या पुष्ट आदेश उपयुक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए।

घ. विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के मामले में 'पहले ऋण का पहले समापन' आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए ।

ङ विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन उन निर्यात दस्तावेजों की आय से भी किया जा सकता है जिनके आधार पर निर्यातक ने कोई विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण नहीं लिया है ।

(ii) बैंकों को निर्यातक द्वारा बाद में पुष्ट आदेश या साखपत्र प्रस्तुत करने तथा निधियों के उद्दिष्ट उपयोग पर निगरानी रखनी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित निधि का उपयोग किसी अन्य घरेलू काम के लिए नहीं किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत किए गए आहरणों का निर्यात के लिए उपयोग न हो सकने की स्थिति में ऊपर बताए गए दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाने चाहिए और संबंधित निर्यातक से 'चालू खाता' सुविधा वापस ले ली जानी चाहिए ।

(iii) बैंकों को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण योजना के अंतर्गत निर्यातक द्वारा कोई भी पूर्व भुगतान उपर्युक्त पैराग्राफ 5.1.3 (iii) (ख) में दिये गये अनुसार अपनी स्वयं की

विदेशी मुद्रा संबंधी समस्थिति तथा समग्र अंतर सीमा के भीतर करना चाहिए । 'चालू खाता' सुविधा उपलब्ध कराए जाने के परिणामस्वरूप अंतर की स्थिति अपेक्षाकृत लंबे समय तक बनी रह सकती है जिसके लिए बैंकों का खर्च भी बढ़ सकता है । एक महीने के बाद पूर्व भुगतान संबंधी अंतरों को समायोजित करने में आने वाली निधीयन संबंधी लागत बैंकों को निर्यातकों से वसूल कर लेनी चाहिए तथा विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लेने के बाद प्रचलित बाज़ार दर पर संविदा निरसन भी कर सकते हैं ।

5.1.10 <u>फॉर्वर्ड संविदाएँ</u>

(i) ऊपर निर्दिष्ट पैरा 5.1.2 (iii) के अनुसार, किसी एक मुद्रा में इनवायस किए गए किसी निर्यात आदेश से संबंधित विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण को किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में रूपांतरित करके उपलब्ध कराया जा सकता है। बैंक किसी निर्यातक को इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वे, विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लेने से पहले भी, पुष्ट निर्यात आदेश के आधार पर वायदा संविदाएँ बुक कर सकते हैं तथा विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लेने के बाद प्रचलित बाज़ार दर पर संविदा निरस्त भी कर सकते हैं।

(ii) बाजार में जिन मुद्राओं में अच्छी तरह लेन देन किया जा रहा है उनमें से ग्राहक की पसंद की किसी अनुमत मुद्रा में कवर प्राप्त करने की अनुमति ग्राहक को बैंक दे सकते हैं परन्तु ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक अनुमत मुद्रा में विनिमय जोखिम उठाए ।

(iii) योजना के अंतर्गत वायदा सुविधाएँ प्रदान करते समय बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी इस मूलभूत अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करें कि ग्राहक निर्यात वित्त के विभिन्न स्तरों पर संबंधित लेनदेन के मामले में विनिमय संबंधी जोखिम उठाए ।

5.1.11 <u>विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत निर्यात पैकिंग ऋण में हिस्सेदारी</u>

(i) निर्यात आदेश धारक तथा निर्यात की जानेवाली वस्तु के निर्माता रूपया निर्यात पैकिंग ऋण में हिस्सेदार हो सकते हैं ।

(ii) उसी प्रकार, निर्यात आदेश धारक द्वारा अपने बैंक के माध्यम से दावे का त्याग किए जाने के आधार पर बैंक निर्माता को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण दे सकते हैं । निर्माता को मंजूर किए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की चुकौती निर्यात आदेश धारक द्वारा विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लिए जाने या बिलों की डिस्काउंटिंग कराये जाने के बाद उसके खाते से विदेशी मुद्रा अंतरित करके की जा सकती है । बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेनदेन में दो-दो बार वित्तपोषण न होने पाए और पैकिंग ऋण की कुल अवधि निर्यातित माल के वास्तविक उत्पादन चक्र तक सीमित हो ।

(iii) यह सुविधा उन मामलों में दी जानी चाहिए जिनमें निर्यात आदेश धारक और निर्माता - दोनों के लिए बैंकर या बैंकों के सहायतासंघ का नेता एक ही हो या जिन मामलों में निर्यात आदेश धारक और निर्माता के बैंकर अलग-अलग हैं, उनमें संबंधित बैंक ऐसी व्यवस्था किए जाने के लिए सहमत हों । निर्यात आदेश धारक तथा निर्माता के बीच आपसी करार के अनुसार निर्यात लाभों को बांटा जाएगा ।

5.1.12 किसी एक निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई द्वारा किसी दूसरी निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को आपूर्ति

(i) आपूर्ति करने वाली निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई और आपूर्ति प्राप्त करने वाली निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की ईकाई - दोनों को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण प्रदान किया जा सकता है ।

(ii) आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को दिया जाने वाला विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण उस कच्चे माल / उन सामानों की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए होगा जिनका और अधिक प्रसंस्करण करके अन्त में प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई/ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र / विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई द्वारा उनका निर्यात किया जा सके । आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को दिए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई से विदेशी मुद्रा प्राप्त करके किया जाना होगा जिसके लिए प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण प्राप्त कर सकती है । ऐसे मामलों में विदेशी मुद्रा में भुगतान करके विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के समापन की शर्त निर्यात दस्तावेजों का बेचान करके नहीं बल्कि प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र / विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के बैंकर से आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के पास विदेशी मुद्रा अंतरित करके पूरी की जाएगी। इस प्रकार ऐसे लेनदेन में सामान्यत: आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/ विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के लिए कोई पोतलदानोत्तर ऋण नहीं होगा ।

(iii) ऐसे सभी मामलों में बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि एक ही लेनदेन के लिए दो बार वित्तपोषण न होने पाए । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को दिए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन निर्यात बिलों की डिस्काउंटिंग द्वारा किया जाएगा ।

5.1.13 मानित निर्यात

बहुपक्षीय /द्विपक्षीय एजेंसियों /फंडों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को आपूर्ति के लिए केवल 'मानित निर्यातों' हेतु ही विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण दिया जा सकता है।'मानित निर्यातों' के लिए दिए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन, आपूर्ति के बाद अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा ऋण मंजूर करके या परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा भुगतान की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, कर दिया जाना चाहिए । विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में शेष तथा जिस सीमा तक आपूर्ति की गयी है उस सीमा तक निर्यातक के रुपया कोष से भी चुकौती /पहले ही भुगतान किया जा सकता है ।

5.1.14 **पुनर्वित्त**

विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए गए निर्यात ऋणों के लिए वे रिज़र्व बैंक से कोई पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे । इसलिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्राप्त करने के प्रयोजन से निर्यात ऋण संबंधी जो आँकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, उनसे विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की मात्रा को अलग दिखाया जाना चाहिए ।

5.1.15 **अन्य पहलू**

(i) निर्यातकों को लागू होनेवाली सुविधाएँ जैसे निर्यात संबंधी आय की पात्र प्रतिशत राशि विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता में जमा किया जाना इत्यादि निर्यात बिलों की वसूली के बाद ही उन्हें उपचित होंगी, न कि पोतलदानपूर्व ऋण के पोतलदानोत्तर ऋण में रूपान्तरण के स्तर पर (उन परिस्थितियों को छोड़कर जब कि बिलों की डिस्काउंटिंग/रीडिस्काउंटिंग 'दायित्व रहित' आधार पर होती है)।

(ii) संबंधित निर्यात वित्त के समायोजन और विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा किए जाने के बाद निर्यात संबंधी शेष बची आय का उपयोग आयात बिलों के समायोजन हेतु करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(iii) विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण विदेशी मुद्रा में दिया जाता है, और निर्यात ऋण गारंटी निगम की सुरक्षा केवल रुपये में ही प्राप्त होगी ।

(iv) निर्यात ऋण देने के मामले में बैंकों के कार्यनिष्पादन की गणना करने के प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के समरूप रुपये को ही हिसाब में लिया जाना चाहिए ।

5.2 **डायमंड डालर खाता योजना**

जो फर्में /कंपनियाँ अपरिष्कृत या कटाई किए हुए और पॉलिश किए हुए हीरों की खरीद /बिक्री करती हैं और हीरों के आयात या निर्यात में कम से कम तीन वर्षों का जिनका ट्रैक रिकार्ड अच्छा है तथा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (अप्रैल से मार्च तक) में जिनका वार्षिक टर्नओवर पाँच करोड़ रुपये या अधिक रहा है, वे निर्यात - आयात नीति 2004-2009 के अंतर्गत, निर्दिष्ट डायमंड डालर खातों के माध्यम से अपना कारोबार कर सकती हैं । डायमंड डालर खाता योजना के अंतर्गत बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे डायमंड डालर खाता धारक को प्रदान किए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन अपरिष्कृत या कटाई किए गए और पॉलिश किए गए हीरों की दूसरे डायमंड डालर खाता धारक को की गई बिक्री से प्राप्त डालर आय से करें ।

6. विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण

6.1 <u>विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई योजना (ईबीआर)</u>

6.1.1 <u>सामान्य</u>

देशी बाज़ार में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई के अलावा बैंकों को इस बात की भी अनुमति दी गयी है कि वे निर्यात बिलों की रीडिस्काउंटिंग पोतलदानोत्तर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों से जुड़ी दरों पर करें ।

6.1.2 <u>योजना</u>

(i) प्रत्येक बिल के लिए विदेश में रीडिस्काउंटिंग की सुविधा लेने की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक यह होगा कि बिल संविभाग के आधार पर (जिसके अंतर्गत सभी पात्र बिल शामिल होंगें) सुविधा ली जाय। किसी खास निर्यातक के मामले में, खासकर बड़े मूल्य के लेनदेन के मामले में, यदि प्रत्येक बिल के आधार पर रीडिस्काउंटिंग सुविधा की व्यवस्था बैंक द्वारा की जाती है तो यह आपत्तिजनक नहीं होगा ।

(ii) निर्यात बिलों की रीडिस्काउंटिंग के लिए बैंक बिना मार्जिन के और संपाश्र्विकीकृत दस्तावेजों के अंतर्गत विधिवत् शामिल **'बैंकर स्वीकरण सुविधा'** की व्यवस्था कर सकते हैं ।

(iii) प्रत्येक बैंक किसी विदेश स्थित बैंक या रीडिस्काउंटिंग एजेंसी के साथ या फैक्टरिंग ऐजेंसी जैसी किसी अन्य संस्था के साथ अपनी खुद की बैंकर स्वीकरण सुविधा (फैक्टरिंग व्यवस्था के मामले में यह ''दायित्व रहित'' आधार पर होनी चाहिए) सीमा निर्धारित कर सकता है ।

(iv) निर्यातक स्वयं भी किसी विदेशस्थित बैंक या किसी अन्य एजेंसी से (फैक्टरिंग एजेंसी सहित), अपने निर्यात बिलों की सीधी डिस्काउंटिंग के लिए ऋण की व्यवस्था कर सकते हैं परन्तु इस मामले में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :-

(क) निर्यातक द्वारा किसी विदेश स्थित बैंक और /या किसी अन्य एजेंसी से निर्यात बिलों की सीधी डिस्काउंटिंग उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित किसी प्राधिकृत व्यापारी की शाखा के माध्यम से ही की जाएगी ।

(ख) जिस नामित बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी से पैकिंग ऋण सुविधा ली गयी है उसी के माध्यम से ही निर्यात बिलों की डिस्काउंटिंग की प्रक्रिया शुरुकी जाएगी। यदि, इसकी प्रक्रिया किसी अन्य बैंक के माध्यम से आरंभ की जाती है तो वह बैंक रीडिस्काउंट किए गए बिल की आय से सबसे पहले संबंधित बैंक में पैकिंग ऋण केअंतर्गत बकाया राशि का समायोजन करेगा ।

(v) बैंकर स्वीकरण सुविधा के अंतर्गत विदेश स्थित बैंकों/ डिस्काउंटिंग एजेंसियों द्वारा बैंकों को मंजूर की गई ऋण सीमाओं की गणना रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा उनके लिए निश्चित की गयी उधार लेने की सीमा के प्रयोजन से नहीं की जाएगी ।

6.1.3 <u>पात्रता मानदंड</u>

(i) योजना के अंतर्गत मुख्यतः ऐसे निर्यात बिल शामिल होंगे जिनकी मीयाद पोतलदान की तारीख से 180 दिन होती है (सामान्य पारगमन अवधि और यदि कोई छूट की अवधि हो तो उसे शामिल करके)। तथापि, यदि विदेश स्थित संस्था को कोई आपत्ति न हो तो माँग बिलों को शामिल करने पर कोई रोक नहीं होगी।

विदेशी मुद्रा विभाग के मौजुदा अनुदेशों के अनुसार यदि उधारकर्ता 180 दिन से अधिक अवधि के लिय मीयादी बिल का आहरण करने के लिए पात्र है तो निर्यात बिल रीडिस्काउंटिंग के अंतर्गत पोतलदानोत्तर ऋण 180 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है।

(ii) रीडिस्काउंटिंग योजना के अंतर्गत सुविधा किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में प्रदान की जा सकती है ।

(iii) बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे एशियाई समाशोधन संगठन के सदस्य देशों को किए जाने वाले निर्यात के लिए निर्यात बिल रीडिस्काउंटिंग सुविधा दें ।

(iv) परिचालनगत सुविधा के लिए बैंकर स्वीकरण सुविधा बैंक द्वारा नामित किसी एक शाखा में केन्द्रीकृत की जा सकती है।लेकिन बैंकों के आंतरिक दिशानिर्देशों/ अनुदेशों के अनुसार बैंक की दूसरी शाखाएँ भी यह सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं ।

6.1.4 समुद्रतटीय (ऑन शोर) निधियों के स्रोत

(i) माँग बिलों के मामले में (उपर्युक्त पैरा 6.1.3 (i) में निर्दिष्ट बातों के अधीन) वर्तमान पोतलदानोत्तर ऋण सुविधा के माध्यम से या संबंधित योजना के अंतर्गत बैंकों के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा शेषों में से निर्यातकों को दिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के रूप में इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(ii) निर्यात बिलों की रीडिस्काउंटिंग के लिए स्थानीय बाजार विकसित करने के लिए एक सक्रिय अंतर-बैंक बाजार की स्थापना और इसका विकास अपेक्षित है । यह संभव है कि बैंक बिलों की रीडिस्काउंटिंग के बिना ही उन्हें अपने संविभाग में रख लें । तथापि आवश्यकता पड़ने पर बैंक स्थानीय बाजार से भी संपर्क करके अपेक्षित काम कर सकें जिससे देश को उतनी विदेशी मुद्रा बच सकेगी जितनी रीडिस्काउंटिंग पर खर्च करनी पड़ती है। इसके अलावा, चूँकि अलग-अलग बैंकों के पास अलग-अलग राशियों के लिए बैंकर स्वीकरण सुविधा होगी, अतः जिस बैंक के पास शेष उपलब्ध होगा वह किसी ऐसे बैंक को रीडिस्काउंटिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकेगा जिसके अपने संसाधन समाप्त हो चुके हों या जो ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में न हो ।

(iii) यदि बैंक स्वयं विदेश से ऋण प्राप्त कर सकने की स्थिति में न हो या उनकी शाखाएँ विदेश में न हों तो वे भारत में ही अन्य बैंकों से ऋण ले सकते हैं परन्तु शर्त यह होगी कि निर्यातक पर पड़ने वाली अंतिम लागत, विथोल्डिंग टैक्स छोड़कर, लिबोर/यूरो लिबोर/यूरीबॉर से 350 आधार अंक से अधिक न हो । उधार लेने वाले बैंक और उधार देने वाले बैंक के बीच का स्प्रेड कितना हो, यह संबंधित बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा ।

(iv) अधिसूचना सं. एफईएमए 3/2000 आरबी दिनांक 3 मई 2000 के पैरा 4.2(i) के अनुसार बैंकों को निर्यात बिलों की डिस्काउंटिंग /रीडिस्काउंटिंग के लिए उधार ली गयी विदेशी मुद्रा निधियों तथा मुद्रा बाजार में खरीदी-बिक्री के आदान प्रदान से प्राप्त विदेशी मुद्रा निधि का उपयोग करने की अनुमति दी गई है जो कि रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा अनुमोदित सकल अंतर सीमा (एजीएल) के अनुरूप होना चाहिए ।

6.1.5 <u>'दायित्व सहित' और 'दायित्व रहित'आधार पर रीडिस्काउंटिंग सुविधा</u>

यह मानी हुई बात है कि बैंकर स्वीकरण सुविधा या किसी अन्य सुविधा के अंतर्गत विदेश से 'दायित्व रहित' सुविधा प्राप्त करना मुश्किल होगा । इसलिए बिल की रीडिस्काउंटिंग 'दायित्व सहित' की जा सकती है । तथापि यदि कोई प्राधिकृत व्यापारी प्रतिस्पर्धी दरों पर 'दायित्व रहित'सुविधा की व्यवस्था करने की स्थिति में है तो उसे ऐसी सुविधा की व्यवस्था करने की अनुमति है ।

6.1.6 <u>लेखाकरण संबंधी पहलू</u>

(i) निर्यात बिलों के बट्टाकृत मूल्य के बराबर रुपया राशि निर्यातक को भुगतान की जाएगी और उसी का इस्तेमाल बकाया निर्यात पैकिंग ऋण का समापन करने के लिए किया जाएगा ।

(ii) चूँकि बिलों की डिस्काउंटिंग /विदेशी मुद्रा ऋण(डीपी बिल) दिए जाने का काम वास्तविक विदेशी मुद्रा में किया जाएगा, इसलिए बैंक लेन-देन के लिए उपर्युक्त स्पॉट दर लागू कर सकते हैं ।

(iii) बट्टाकृत राशियों /विदेशी मुद्रा ऋण के बराबर रुपया राशि बैंक की बहियों में, वर्तमान पोतलदानोत्तर ऋण खातो से अलग रखी जानी चाहिए ।

(iv) अतिदेय बिलों के मामले में बैंक नियत तारीख से क्रिस्टलाइज़ेशन की तारीख तक विदेशी मुद्रा ऋण की रीडिस्काउंटिंग की दर से 200 आधार अंक अधिक, प्रभारित कर सकते हैं ।

(v) रुपये में पोतलदानोत्तर ऋण के लिए रिज़र्व बैंक के ब्याज दर संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार लगने वाला ब्याज, क्रिस्टलाइज़ेशन की तारीख से ही लागू किया जाएगा ।

(vi) निर्यात बिल का भुगतान न हो पाने की स्थिति में यह उचित होगा कि बैंक पहले बट्टाकृत बिल के मूल्य के बराबर राशि डिस्काउंट करने वाले विदेश स्थित बैंक /एजेंसी के पास प्रेषित कर दे तथा ऐसा करने के लिए उसे रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति भी नहीं लेनी पड़ेगी ।

6.1.7 <u>ऋण सीमा की पुनः उपलब्धता और निर्यात सुविधाओं (जैसे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता) की उपलब्धता</u>

जैसा कि पैरा 6.1.5 में बताया गया है, 'दायित्व रहित' सुविधा सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाती है । इसलिए 'दायित्व रहित' सुविधा के मामले में निर्यातक की ऋण - सीमा की पुनः उपलब्धता और निर्यात सुविधाओं की उपलब्धता जैसे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों में ऋण, निर्यात संबंधी आय प्राप्त होने के बाद हो सकेगी, न कि बिलों की डिस्काउंटिंग/ रीडिस्काउंटिंग की तारीख को। तथापि यदि बिलों की रीडिस्काउंटिंग 'दायित्व रहित' आधार पर की जाएगी तो निर्यातक की सीमाओं और निर्यात सुविधाओं की उपलब्धता रीडिस्काउंटिंग के तुरंत बाद प्रभावी कर दी जानी चाहिए ।

6.1.8 निर्यात ऋण गारंटी निगम का कवर

'दायित्व सहित' आधार पर बट्टाकृत निर्यात बिलों के मामले में निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा प्रदान किए गए कवर की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि निर्यातक का दायित्व तब तक जारी रहता है जब तक संबंधित बिल का भुगतान नहीं हो जाता। अन्य मामलों में, जहाँ बिलों की रीडिस्काउंटिंग 'दायित्व रहित' आधार पर की जाती है, संबंधित बिल की रीडिस्काउंटिंग होते ही निर्यात ऋण गारंटी निगम की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है ।

6.1.9 पुनर्वित्त

बैंक इस योजना के अंतर्गत डिस्काउंट /रीडिस्काउंट किए गए निर्यात बिलों के लिए रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। अतः विदेशी मुद्रा में डिस्काउंट /रीडिस्काउंट किए गए बिल निर्यात ऋण पुनर्वित्तप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सूचित किए गए निर्यात ऋण संबंधी आँकड़ों से अलग दिखाए जाने चाहिए ।

6.1.10 निर्यात ऋण संबंधी कार्यनिष्पादन

(i) केवल विदेश में 'दायित्व सहित' आधार पर रीडिस्काउंट किये गए तथा बकाया बिल निर्यात ऋण संबंधी कार्यनिष्पादन के प्रयोजन से हिसाब में लिए जाएंगे । विदेश में 'दायित्व रहित' आधार पर रीडिस्काउंट किए गए बिल निर्यात ऋण कार्यनिष्पादन के लिए गिने नहीं जाएंगे ।

(ii) देशी बाजार में 'दायित्व सहित' आधार पर रीडिस्काउंट किये गए बिल डिस्काउंट करने वाले पहले बैंक के मामले में ही दर्शाए जा सकेंगे क्यों कि केवल वही बैंक निर्यातक से लेन देन करेगा तथा रीडिस्काउंटिंग करने वाला बैंक संबंधित राशि की गणना निर्यात ऋण के रूप में नहीं करेगा।

7. विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज

7.1 विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर ढाँचा

'विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण' तथा 'विदेश में निर्यात बिलों की रीडिस्काउंटिंग' योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्यात ऋण दिए जाने के मामले में बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे प्रचलित लिबोर, यूरो लिबॉर या यूरीबॉर (जहाँ कही भी लागू हो) को दृष्टिगत रखते हुए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ब्याज की दरें निश्चित करें :

ऋण का प्रकार	ब्याज दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
(i) पोतलदानपूर्व ऋण (क) 180 दिन तक	लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर के ऊपर 350 आधार अंक से अधिक नहीं
(ख) 180 दिन से अधिक और 360 दिनों तक	ऋण दिये जाने के समय 180 दिन की प्रारंभिक अवधि के लिए लागू दर + 200 आधार अंक अर्थात उपर्युक्त (i) (क)+ 200 आधार अंक
(ii) पोतलदानोत्तर ऋण (क) पारवहन अवधि के लिए मांग बिलों पर (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट)	लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर के ऊपर 350 आधार अंक से अधिक नहीं
(ख) मीयादी बिलों पर (निर्यात बिलों की मीयाद, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारवहन अवधि और जहां लागू हो वहां छूट की अवधि सहित कुल अवधि के लिए ऋण) **पोतलदान की तारीख से** 6 माह की अवधि तक	लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर के ऊपर 350 आधार अंक से अधिक नहीं
(ग) नियत तारीख के बाद लेकिन क्रिस्टलाइज जेशन की तारीख तक वसूले गए निर्यात बिल (मांग या मीयादी)	उपर्युक्त (ii)(ख) को लागू दर + 200 आधार अंक
टिप्पणी : i) बैंकों को ब्याज दर के अतिरिक्त आइबीए दिशानिर्देशों के अनुसार उनके द्वारा किए गए आउट ऑफ पॉकेट व्ययों की वसूली के लिए लगाए जानेवाले प्रभारों के अलावा सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार आदि जैसे किसी भी शीर्ष के तहत किसी भी तरीके से कोई अन्य प्रभार नहीं लगाने चाहिए। ii) ऊपर निर्दिष्ट अवधियों के आगे निर्यात ऋण की ऊपर उल्लिखित श्रेण्यिों के लिए ब्याज दरें अविनियामित हो गयी हैं और बैंक बीपीएलआर तथा स्प्रेड संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।	

भाग - ग

8. ग्राहक सेवा तथा कार्यविधि का सरलीकरण

8.1 ग्राहक सेवा

8.1.1 सामान्य

(i) बैंक अपने निर्यातक ग्राहकों को समय से तथा पर्याप्त ऋण दें तथा कार्यविधि संबंधी औपचारिकताओं और निर्यात के अवसरों के बारे में अवश्यक ग्राहक सेवाएँ /मार्गदर्शन प्रदान करें।

(ii) मुख्यत: छोटे निर्यातकों और गैर-परंपरागत निर्यात करनेवालों को मार्गदर्शन देने के लिए बैंकोंको निर्यात परामर्श कार्यालय खोलने चाहिये।

8.1.2 निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल

निर्यातकों को ग्राहक सेवा देने से संबंधित विभिन्न मामलों को संबोधित करने के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2005 में निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए एक कार्यदल गठित किया था जिसमें चुने हुए बैंक और निर्यातकों के संगठन शामिल थे। उक्त कार्यदल ने व्यापक सिफारिशें की है जिन्हें स्वीकार किया गया है और बैंकों को सूचित किया गया है।(देखें अनुबंध 1)।

8.1.3 निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना

भारत सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके वर्ष 2003-04 की निर्यात-आयात नीति में निर्दिष्ट किया था कि ऋण पाने की योग्यता रखने के साथ अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले निर्यातकों को सर्वोत्तम शर्तों पर निर्यात ऋण सुलभ कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गोल्ड कार्ड योजना बनायी जाएगी । तदनुसार, चुनिंदा बैंकों और निर्यातकों के परामर्श से गोल्ड कार्ड योजना बनाई गई। इस योजना में निर्यातकों के कार्यनिष्पादन के रिकार्ड के आधार पर उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ देने पर ध्यान दिया गया है । अपने अच्छे ट्रैक रिकार्ड के आधार पर गोल्ड कार्ड धारक को आसान और अधिक सक्षम ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) प्रत्येक बैंक द्वारा तय किये गये अपने मानदंडों के अनुसार छोटे और मध्यम निर्यातकों सहित ऋण पाने की योग्यता रखनेवाले अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले सभी निर्यातक गोल्ड कार्ड पाने के लिए पात्र होंगे ।

(ii) इस योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तें को पूरा करनेवाले छोटे और मध्यम क्षेत्रों सहित पात्रता रखनेवाले सभी निर्यातकों को गोल्ड कार्ड जारी किए जा सकते हैं।

(iii) अपने ट्रैक रिकार्ड और ऋण पात्रता के अनुरूप गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों को अन्य निर्यातकों की तुलना में बैंकों से ब्याज दर सहित बेहतर शर्तों पर ऋण प्राप्त होगा।

(iv) ऋण के आवेदनों पर अन्य निर्यातकों की तुलना में आसान मानदंडों पर तथा तीव्र प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

(v) गोल्ड कोर्ड धारकों को दिए जाने वाले हितलाभों को बैंक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेंगे ।

(vi) बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं की प्रभार अनुसूची तथा फीस अन्य निर्यातकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होगी ।

(vii) इस योजना के अंतर्गत मंजूरी और नवीनीकरण एक आसान प्रक्रिया पर आधारित होगा जिसे बैंक निश्चित करेंगे । निर्यातक के अनुमानित निर्यात-टर्नओवर और ट्रैक रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए बैंक उदार रुख अपनाते हुए आवश्यकता पर आधारित वित्त निर्धारित करेंगे ।

(viii) मंजूरी की शर्तों को पूरा करने के अधीन स्वतः नवीनीकरण के लिए प्रावधान सहित 3 वर्ष की अवधि के लिए "सैद्धांतिक रूप में" सीमाएँ मंजूर की जाएंगी ।

(ix) अचानक प्राप्त हुए आदेशों का निष्पादन करने की त्वरित ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा के लिए अनुमानित सीमा का कम से कम 20 प्रतिशत की तत्काल सीमा अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करायी जा सकती है । मौसमी पण्यों के निर्यातकों के मामले में चरण स्तर और निम्नतर स्तरों को उचित रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(x) अप्रत्याशित निर्यात आदेशों के मामले में, निर्यात आदेश के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, स्टाक के मानदंडों को शिथिल कर दिया जाएगा ।

(xi) बैंकों द्वारा कार्ड धारकों के नये आवेदनों के लिए 25 दिनों में, सीमाओं का नवीनीकरण 15 दिनों में तथा तदर्थ सीमाओं का निपटान 7 दिनों के भीतर शीघ्रतापूर्वक किया जाएगा ।

(xii) गोल्ड कार्ड धारकों को विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण देने के मामलों में वरीयता दी जाएगी।

(xiii) कार्ड धारक की ऋण पात्रता और ट्रैक रिकार्ड के आधार पर बैंक ईसीजीसी गारंटी योजना से तथा संपार्श्विकता से छूट देने पर विचार कर सकते हैं ।

(xiv) कार्ड के माध्यम से अन्य मूल्यवर्द्धक सेवाएँ जैसे - एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग अंतराष्ट्रीय डेबिट /क्रेडिट कार्ड अतिरिक्त रूप से देने पर जारीकर्ता बैंकों द्वारा विचार किया जा सकता है ।

(xv) गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत लगायी जानेवाली ब्याज दर प्रत्येक बैंक में निर्यात ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की सामान्य दर से अधिक न हो और भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित सीमा के भीतर हो । इस योजना के अभिप्राय के मद्देनजर बैंक, गोल्ड कार्ड धारकों को उनकी रेटिंग और पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर सबसे अच्छी संभावित दर देने का प्रयास करेंगें ।

(xvi) गोल्ड कार्ड धारकों के संबंध में, पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के लिए 90 दिनों तक लगाई जाने वाली रियायती ब्याज की दरें अधिकतम 365 दिनों की अवधि के लिए भी उसी दर से लगाई जा सकती हैं ।

(xvii) निर्यात बिलों की नियत समय पर वसूली के सबंध में गोल्ड कार्ड धारकों के पिछले रिकार्ड के आधार पर तुरंत भुगतान वाले दायित्व आदि आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु गोल्ड कार्ड धारकों के संबंध में विचार किया जाएगा।

(xviii) बैंक यह सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते की निधि आदि में से ऋण देने के संबंध में गैर-निर्यात उधारकर्ताओं की अपेक्षा गोल्ड कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाए ताकि उनकी पीसीएफसी की अपेक्षाएं पूरी की जा सकें ।

(xix) योग्य मामलों में उनकी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते, निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफ सी) आदि की निधि से विदेशी मुद्रा में मीयादी ऋण देने पर बैंक विचार करेंगे । (बैंक विदेशी उधार के 25 प्रतिशत पटल के तहत अपने विदेशी उधार से ऐसे ऋण प्रदान न करें)

(xx) भारतीय निर्यातकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) से 350 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8.1.4 विदेशी मुद्रा में आहरित निर्यात बिलों की आय जमा करने में विलंब

बैंकों के नोस्त्रो खातों में विदेशी मुद्रा संबंधित राशि जमा हो जाने के बाद भी विदेशी मुद्रा में आहरित निर्यात बिलों से संबंधित आय निर्यातकों को दिये जाने में विलम्ब होते देखा गया है। यद्यपि इस अशय के अनुदेश पहले से ही हैं कि नोस्त्रो खातों में राशि जमा होने की तारीख से ही रियायती पोतलदानोत्तर ब्याजदर समाप्त हो जाएगा, तथापि निर्यातकों द्वारा ली गयी ऋण सीमाओं पर ग्राहक के खातेमें रुपया समरूप राशि जमा किये जाने की वास्तविक तारीख तक रोक लगाकर रखी जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बिलों की वसूली के बाद निर्यातक को ऋण सीमाएँ तत्काल पुन: उपलब्ध करा दी जाएँ और ग्राहक को रुपया ऋण उपलब्ध करा दिया जाए।

8.1.5 निर्यात बिलों की आय विलंब से जमा किए जाने के कारण निर्यातकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

(i) हर तरह से पूर्ण जमा सुचना ओं से संबंधित राशि जमा किये जाने में हुए विलंब के लिए, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति कि राशि, निर्यातक द्वारा माँग किये जाने का इंतजार किये बिना, निर्यातक ग्राहक को अदा कर दी जानी चाहिए ।

(ii) निर्यातकों के खाते में निर्यात संबंधी आय समय से जमा किये जाने तथा फेडाई के नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान पर नजर रखने के लिये बैंकों को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

(iii) बैंकों को आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण दलों को अपनी रिपोर्टों में इन पहलुओं पर खास नजर रखनी चाहिए।

8.2 निर्यात ऋण प्रस्तावों की मंजूरी

8.2.1 मंजूरी के लिए समय सीमा

ऋण सीमा संबंधित आवेदन पत्र अपेक्षित वित्तीय/परिचालन संबंधी विवरणों तथा अन्य ब्यौरों के साथ प्राप्त होने की तारीख से **45 दिनों** के भीतर नये ऋण वर्धित मात्रा वाले निर्यात ऋण संबंधी आवेदन पत्रों पर मंजूरी दे दी जानी चाहिए। ऋण सीमा के नवीकरण और तदर्थ ऋण सीमा ओं की मंजूरी के मामले में बैंकों को क्रमश: **30 दिन और 15 दिन** से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए।

8.2.2 तदर्थ सीमा

कई बार बडे निर्यात आदेशों के मामलों में निर्यातकों को ऐसे खर्च पूरे करने के लिये तदर्थ ऋण सीमाओं की जरूरत पड़ती है जिनका अंदाजा उन्हे पहले से नहीं होता। बैंकों को ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा बैंकों को ऐसे निर्यातकों के मामले में लचीला रुख

अपनाना चाहिए जो कुछ वास्तविक कठिनाइयों के कारण कुछ खास निर्यात आदेशों के लिए उच्चतर ऋण सीमा से संबंधित समरूप अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था नहीं कर पाते। पोतलदानपूर्व/ पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के रूप में मंजूर की गयी तदर्थ सीमाओं के मामले में **कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं** लगाया जाएगा।

जिन मामलों में निर्यात ऋण सीमा ओं का उपयोग पूरी तरह कर लिया जाता है, उनमें साखपत्रों के आधारपर आहरित बिलों के बेचान के मामले में बैंकों को ऐसे निर्यातकों के मामले में लचीला रुख अपनाना चाहिए ओर निर्यातकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शाखा प्रबंधकों को विवेकाधीन /उच्चतर मंजूरी संबंधी अधिकार देने पर भी विचार होना चाहिए। उसी तरह जिन प्राधिकारियों/बोर्डों/समितियों ने मूल ऋण मंजूर किया था, उन के द्वारा मंजूरी न दे दिए जाने तक, शाखाओं को भी वर्धित /तदर्थ ऋण के कुछ प्रतिशत भाग के संवितरण का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि निर्यातक अत्यावश्यक निर्यात आदेशों को समय से पूरा कर सके।

8.2.3 <u>अन्य अपेक्षाएँ</u>

(i) निर्यात ऋण संबंधी प्रस्तावों की अस्वीकृति से संबंधित सभी मामलों की जानकारी, अस्वीकृति के कारण स्पष्ट करते हुए, बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को दी जानी चाहिए ।

(ii) बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण दलों को इस बात पर खास तौर से टिप्पणी देनी चाहिए कि निर्यात ऋणों की मंजूरी के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी समय- सीमा का पालन किया गया या नहीं।

(iii) कार्यशील पूँजी सीमा को ऋण और नकदी ऋण भाग में विभाजित करने के लिए निर्यात ऋण सीमाओं को अलग रखना चाहिए।

(iv) निर्यातकों से संबंधित मामलों का समय से और तुरन्त निपटान सुनिश्चित करने के लिये बैंकों को अपने विदेशी विभागों/विशेष शाखाओं मे उपयुक्त अधिकारियोंको अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित करना चाहिए ।

(v) निर्यातकों को ऋण सीमाओं की मंजूरी की स्थिति के संबंध में हर तिमाही में एक समीक्षा - नोट बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे नोट में अन्य बातों के साथ- साथ यह भी बताना चाहिए कि कितने आवेदनपत्रों पर (ऋण की मात्रा सहित) निर्धारित समय सीमा के अंदर मंजूरी दी गयी, कितने मामलों मे विलंब से मंजूरी दी गयी और कितने मामले मंजूरी के लिए बकाया हैं तथा इसके कारण क्या हैं ।

8.3 <u>विदेशी मुद्रा और रुपये मे निर्यात ऋण दिये जाने से संबंधित क्रियाविधि का सरलीकरण</u>

8.3.1 <u>सामान्य</u>

निर्यातकों को समय से निर्यात ऋण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने तथा क्रियाविधि संबंधी असुविधाओं को दूर करने के लिये निम्नलिखित दिशानिर्देशों को लागू किया जाय । ये दिशानिर्देश **रुपया निर्यात ऋण तथा विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण के मामले में भी लागू होंगे ।**

8.3.2 दिशानिर्देश

(i) क्रियाविधि का सरलीकरण

बैंक आवेदन पत्र का प्रारूप और सरल बनाएँ तथा निर्यातकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए उनसे कम आँकडे माँगा करें ताकि निर्यातकों को आवेदन -पत्र भरने या बैंकों द्वारा मांगे गये आँकडे देने के लिए बाहर से व्यावसायिकों की मदद न लेनी पड़े ।

निर्यातकों की कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताओंका आकलन करने के लिए प्रोजेक्टेड बैलन्स शीट प्रणाली, टर्न-ओवर प्रणाली या नकदी बजट प्रणाली में से निर्यातकों को जो भी सबसे उपयुक्त और अच्छी हो, बैंक वही प्रणाली अपनाएँ ।

सहायता संघ द्वारा वित्त उपलब्ध कराये जाने के मामलेमें सहायता संघ द्वारा आकलन का अनुमोदन कर दिये जाने के बाद सदस्य बैंकों को चाहिए कि वे मंजूरी संबंधी प्रक्रिया साथ साथ शुरूकर दें ।

(ii) निर्यातकों को अनवरत ऋण

(क) बैंक सामान्यत: एक साल के लिए ऋण कि सुविधा उपलब्ध कराते हैं तथा हर साल उस की समीक्षा करते हैं। ऋण के नवीकरन में विलंब होने पर मंजूर की गयी ऋण सीमा अनवरत जारि रखनी चाहिए और निर्यातकों की अनिवार्य आवश्यकताओं को तदर्थ आधार पर पूरा किया जाना चाहिए ।

(ख) जिन प्रतिष्ठित निर्यातकों का पिछला रिकार्ड संतोषजनक है उन्हें बैंक लंबे समय के लिए (जैसे तीन वर्ष के लिए) ऋण सुविधा मंजूर करने पर विचार करें तथा अधिकतम आकलित सीमा के भीतर ऋण की मात्रा को घटा देने या बढा देने की आंतरिक व्यवस्था भी करें।जब निर्यातक कार्यनिष्पादन के लिये पहले से निर्धारित मानदंडों को पूरा कर ले तो सीमा बढा दी जानी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे बढे हुए समय के लिए निर्यातकों को मंजूर की गयी अधिकतम सीमाओं के लिए प्रतिभूति संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर लें।

(ग) मौसमी वस्तुओं, कृषि पर आधारित उत्पादों इत्यादि के निर्यात के मामले में बैंक निर्यातकों को पीक /नॉन पीक ऋण सुविधा मंजूरकरें ।

(घ) बैंक पोतलदानपूर्व ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण को आपस में अदल-बदल करने की अनुमति दें ।

(ङ) बैंक क्षमता के विस्तार, मशीनरी के आधुनिकिकरण और तकनीक के विकास के लिये मियादी ऋण प्रदान करें।

(च) निर्यात ऋण सीमा का आकलन आवश्यकता पर आधारित होना चाहिये, न कि संपार्श्विक प्रतिभूति की उपलब्धता से प्रत्यक्षत: संबध्द। निर्यातक के कार्यनिष्पादन और उसके पिछले रिकार्ड के आधारपर ऋण की आवश्यकता जिस सिमा तक उचित हो उस सीमा तक का ऋण, केवल संपार्श्विक प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) <u>पोतलदानपूर्व ऋण लेने के लिये निर्यात आदेश या साख-पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करना</u>

(क) जिन निर्यातकों का पिछला रिकार्ड लगातार अच्छा हो उन्हें पोतलदानपूर्व ऋण वितरित करते समय हर बार निर्यात आदेश या साख- पत्र प्रस्तुत करने के लिये उनपर जोर नहीं डालना चाहिए, बल्कि प्राप्त हुए निर्यात आदेशों या साखपत्रों का विवरण आवधिक आधार पर प्रस्तुत करने की एक प्रणाली लागू कर दी जानि चाहिए ।

(ख) बैंक अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले निर्यातकों के मामले में प्रारंभ में ही निर्यात आदेश / साखपत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त से छूट प्रदान कर सकते हैं और उस के बजाय उन के पास बकाया आदेशों /साखपत्रों का आवधिक विवरण प्राप्त करने की प्रणाली लागू कर सकते हैं। तथापि इस का उल्लेख मंजूरी संबंधी प्रस्ताव में और निर्यातकों को जारी किए जाने वाले मंजूरी संबंधी पत्र में कर दिया जाना चाहिए तथा इस की जानकारी निर्यात ऋण गारंटी निगम को भी दे दी जानी चाहिए। इस के अलावा यदि इस तरह की छूट कि अनुमति निर्यात ऋण- सीमा की मंजूरी की शर्तों में संशोधन के रूप में कर दिया जाना चाहिए और इस की जानकारी निर्यात ऋण गारंटी निगम को भी दे दी जानी चाहिए ।

(iv) <u>निर्यात संबंधी दस्तावेजों पर कार्रवाई आरंभ करना</u>

बैंकों के लिए ये अपेक्षित है कि वे, विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी विनियमों के अनुसार, निर्यात संबंधी दस्तावेजों पर कार्रवाई आरंभ करने के लिए मूल विक्रय संविदा/पक्का आदेश/विदेश स्थित क्रेता प्रतिहस्ताक्षरित प्रोफार्मा इनवायस/ विदेश स्थित क्रेता के प्राधिकृत अदिकर्ता से इंडेंट प्राप्त करें। भविष्य में निर्यात संबंधी दस्तावेजों पर कार्रवाई आरंभ करते समय ऐसे दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर जोर नहीं देना चाहिए क्यों कि सीमा शुल्क प्राधिकारी ऐसे मामलों में वस्तुओं का मूल्यांकन कर के अपेक्षित अनुमति प्रदान कर चुके होते हैं। इनमें अपवाद तभी होता है जब कोई लेनदेन साख-पत्र के आधार पर किया जाता है तथा ऐसी स्थिति में साख-पत्र शर्तों के अनुसार विक्रय संविदा/अन्य वैकल्पिक दस्तावेजो का प्रस्तुतीकरण आवश्यक होता है।

(v) <u>निर्यात ऋण की शीघ्रतापूर्वक मंजूरी</u>

(क)निर्यातकों की सहायता करने के लिए विशेष शाखाओं में तथा निर्यात संबंधी बडा कारोबार करने वाली शाखाओं में एक ऐसी व्यवस्था शुरुकी जानि चाहिए जिस से ऋण संबंधी आवेदन पत्रों की तेजी से प्रारंभिक जांच की जा सके और अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए विचार- विमर्श किया जा सके।

(ख)बैंकों को अपनी आंतरिक प्रणाली और क्रियाविधि में इस तरह से सुधार लाना चाहिए ताकि वे निर्यात ऋण संबंधी प्रस्तावों के निष्पादन के लिए निर्दारित समय सीमा से पहले भी निर्यात ऋण संबंधी प्रस्तावों का निष्पादन करने का प्रयास करना चाहिए। निर्यात ऋण

संबंधी प्रस्तावों के साथ एक ऐसा फ्लो चार्ट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें ऋण संबंधी आवेदन-पत्र की प्राप्ती की तारीख से लेकर उसपर प्रत्येक स्तरपर कार्रवाई करने के समय का उल्लेख किया जाए ।

(ग) बैंकों को निर्यात ऋण कि मंजूरी के मामले में अपनी शाखाओं को और अधिकार प्रदान करना चाहिए ।

(घ) बैंकों को चाहिए कि वे निर्यात ऋण संबंधी प्रक्रिया के जितने स्तर हैं उनमें से कुछ मध्यावर्ती स्तरों को कम कर दें। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि निर्यात वित्त के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रीया में तीन से अधिक स्तर न हों।

(ङ) बैंकों को चाहिए कि वे निर्यात ऋण संबंधी प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए शाखा स्तर के और प्रशासनिक कार्यालयों के अधिकारयों द्वारा संयुक्त मूल्यांकन की प्रणाली लागू करें ।

(च) निर्यातकों की कार्यशील पूँजी संबंधी सुविधाएँ प्रदान करने /मंजूर करने के लिए बैंकों को चाहिए कि, जहाँ भी संभव हो, वहाँ वो विशेष शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में ऋण समिति के पास मंजूरी की पर्याप्त उच्चतर शक्ति होनी चाहिए।

(vi) <u>प्रचार और प्रशिक्षण</u>

(क) सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय स्तरपर प्रतियोगी दरों पर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण बैंकों की केवल कुछ शाखाओं में प्रदान किया जाता है । इस योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए तथा विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रतियोगी ब्याज दरों को दृष्टिगत रखते हुए और किसी भी संभावित विनिमय जोखीम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण का अधिकतम उपयोग करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसलिए जिस क्षेत्र में निर्यातकों की संख्या अधिक हो उन क्षेत्रों में स्थित बैंकों को इस महत्त्वपूर्ण सुविधा का व्यापक प्रचार करना चाहिए और छोटे निर्यातको सहित सभी निर्यातकों को यह सुविधा आसानी से उपलब्ध करानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने के लिए और अधिक शाखाओं को नामित किया जा रहा है।

(ख) बैंकों को यह भी आवश्यक है कि वे मानित निर्यातों के लिए ब्याजदरों पर दी जाने वाली छूट का भी व्यापक प्रचार करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस का काम देखने वाले स्टाफ इस बात से भलीभाँति अवगत है तथा इस बात का ध्यान भी रखते हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने के काम से जो अधिकारी जुडे हों उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। निर्यात ऋण संबंधी कारोबार करने वाली विशिष्ट शाखाओं से कर्मचारियों का स्थानांतरण किए जाने के मामले में बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जगह तैनात किये जाने वाले नये व्यक्तियों के पास विदेशी मुद्रा और निर्यात ऋण से संबंधित विषयों की पर्याप्त जानकारी हो ताकि निर्यात ऋण संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने/उनमें मंजूरी प्रदान करने में विलंब न हो तथा निर्यातकों को निर्यात आदेशों के रद्द होने से संबंधित जोखिमों से भी अवगत करा दिया जाए ।

(vii) <u>ग्राहकों को जानकारी देना</u>

(क) बैंकों को एक हैंडबुक तैयार करनी चाहिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी दरों पर निर्यात ऋण तथा रुपये में निर्यात ऋण मंजूर करने संबंधी सरलीकृत प्रक्रिया की विशेष बातों की जानकारी दी गई हो ताकि निर्यातक इसका लाभ उठा सकें ।

(ख) बैंकों और निर्यातकों के बीच विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए बैंकों को ऐसे केन्द्रों पर निर्यातकों की बैठकें आयोजित करनी चाहिए जहाँ निर्यातकों की संख्या अधिक हों।

8.3.3 <u>दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर नजर रखना</u>

(i) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यातकों की निर्यात संबंधी आवश्यकताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर पूरी तरह और शीघ्र पूरा किया जा रहा है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, इस मास्टर परिपत्र की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि निर्यात क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने और संबद्ध बैंकिंग सेवाएं प्रदान किए जाने के मामले में पर्याप्त सुधार परिलक्षित हों। बैंकों को अपने संगठन के अंतर्गत स्टाफ की तैनाती की प्रणाली की कमियों, यदि कोई हो तो, को भी दूर किया जा सके ।

(ii) संबंधित दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किस सीमा तक किया जा रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए बैंकों को एक आंतरिक कार्यदल गठित करना चाहिए जो समय समय पर, जैसे हर दो महीने में शाखाओं का दौरा करे ।

8.4 <u>राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अंतर्गत अलग उप-समिति का गठन</u>

राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति के समापन के परिणामस्वरूप राज्य स्तर पर निर्यात वित्त तथा बैंक से सबंधित अन्य विषयों से संबंधित मामलों पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की उप-समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी । इस उप-समिति में जिसे 'निर्यात संवर्धन के लिए एसएलबीसी की उप-समिति' नाम से जाना जाता है, क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) के अलावा स्थानीय निर्यातकों के संघ, भारतीय स्टेट बैंक, पर्याप्त निर्यात व्यापार करने वाले दो/तीन अग्रणी बैंक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमा शुल्क, राज्य सरकार (वाणिज्य तथा उद्योग विभाग तथा वित्त विभाग), भारतीय निर्यात-आयात बैंक, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, समिति के सदस्यों के रूप में शामिल होंगे ।

उप-समिति की बैठकें छमाही अंतरालों पर होंगी अथवा आवश्यकता होने पर उससे पहले भी हो सकती हैं। एसएलबीसी का संयोजक बैंक ही संबंधित राज्य में उप-समिति की बैठक का संयोजक होगा और संयोजक बैंक के कार्यपालक निदेशक बैठकों के अध्यक्ष रहेंगे। सभी संबंधितों को भावी बैठकों के संयोजन की तिथियों के बारे में अग्रिम रूप से सूचना दी जाती है ताकि निर्यात क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों पर समुचित ध्यान दिया जा सके।

9. <u>रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षाएँ</u>

9.1 <u>बैंकों के निर्यात ऋण कार्यनिष्पादन का सूचक</u>

9.1.1 प्रत्येक बैंक के लिए अपेक्षित है कि वह अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)*के 12 प्रतिशत के बराबर बकाया निर्यात ऋण का स्तर प्राप्त करे। तदनुसार **भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग,** निदेश प्रभाग (निर्यात ऋण) हर छह महीने के अंतराल पर इस मामले में बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। निर्यात ऋण देने के मामले में बैंकों के कार्यनिष्पादन का आकलन भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, ऑसमॉस प्रभाग, मुंबई को बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

9.1.2 बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण के 12 प्रतिशत के बराबर निर्यात ऋण के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जहां बैंकों ने पहले ही 12 प्रतिशत तक निर्यात ऋण प्रदान कर दिया है वहां उसे उच्चतर स्तर तक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अनुपात में कमी न आने पाए। अच्छे निर्यात आदेशों के मामले में बैंकों को निर्यात ऋण देने से मना नहीं करना चाहिए ।

9.1.3 निर्यात ऋण का निर्धारित स्तर प्राप्त न कर पाने पर या निर्यात ऋण संबंधी कार्यनिष्पादन में स्पष्ट सुधार न दिखाई देने पर संबंधित बैंक के संबंध में कुछ नीतिगत कदम उठाए जा सकते हैं जिनके अंतर्गत प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं मे वृद्धी तथा पुनर्वित्त सुविधाएँ वापस ले लेना शामिल होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग का निदेश प्रभाग (निर्यात ऋण)ऋण के संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन पर कड़ी नजर रखेगा ।

9.2 <u>निर्यात ऋण संवितरण संबंधी तिमाही आँकड़े</u>

बैंकों को निर्यात ऋण संवितरण संबंधी आँकडे हर तीन महिने पर **अनुबंध 2** में दिए गए फॉर्मेट में भेजने चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, ऑसमॉस प्रभाग, सेंटर -1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - 400 005 को संबंधित तिमाही के परवर्ती माह के अंत तक प्राप्त हो जाए ।

10. <u>हीरों निर्यातकों को लदान पूर्व ऋण - विवादग्रस्त हीरे (कांफ्लिक्ट डायमंडस्) -किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) को लागू करना</u>

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव सं. 1173 एवं 1176 के द्वारा **विवादग्रस्त हीरों के व्यापार**/खरीद को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि सियारा लोन, अंगोला एवं कांगों के गृहयुध्द प्रभावित क्षेत्रों में विद्रोहियों को धन देने में विवादग्रस्त हीरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव सं. 1306 (2000) तथा क्रमश: 1343(2001) के अनुसार सियारा लोन तथा लाइबेरिया से सभी किस्म के कच्चे हीरों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आयात को **निषेध** कर दिया गया है। अन्य देशों के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र की नयी किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम को स्वीकार किया है जिससे खुदाई या अवैध व्यापार से देश में कच्चे हीरों का आयात

---

* एएनबीसी निवल बैंक ऋण तथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए गैर-एसएलआर बांडों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश हैं। बैंकों की उपलब्धि का मूल्यांकन एएनबीसी अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र की ऋण समतुल्य राशि, इनमें से ,जो भी अधिक हो, के अनुसार किया] जाएगा । कई बैंकों का (उनमें से अधिकत्तम विदेशी बैंक हैं) तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र उच्चतर स्तर पर था। साथ ही, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियां और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय जमाराशिँा निवल बैंक ऋण में से घटाई नहीं हैं।

रोकना सुनिश्चित किया जा सके। अत: भारत में हीरों का आयात करते समय किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट (केपीसी) का होना जरूरी है । उसी प्रकार भारत से निर्यात करते समय केपीसी साथ में होना चाहिए जिसमें ज्ञात हो कि प्रक्रिया में कांफ्लिक्ट/कच्चे हीरे उपयोग में नहीं लाए गए हैं। आयात/निर्यात के मामलों में रत्न और आभूषण संवर्धन परिषद द्वारा के.पी.सी. (प्रमाणपत्र) की जाँच/वैधता की जाएगी। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम लागू करना सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी प्रकार के हीरों से जुड़े व्यापार करने के लिए बैंक से ऋण पाने वाले ग्राहकों से बैंक, **अनुबंध 3** में दिए गए प्रपत्र में एक घोषणा पत्र प्राप्त करें ।

अनुबंध 1

(देखें पैरा 8.1.2)

निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशें

निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल ने ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है जो सिफारिशें स्वीकार की गयी है और बैंकों को सूचित की गयी हैं, वे नीचे प्रस्तुत हैं:

(क) निर्यात ऋण की वर्तमान क्रियाविधि की समीक्षा

i) छोटे और मझौले निर्यातकों के साथ कार्रवाई करते समय बैंकों के अधिकारियों के दृष्टिकोण के रुख में परिवर्तन की ज़रूरत है । बैंक इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाएं ।

ii) बैंकों को ऐसा नियंत्रण और सूचना तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि विशेष रूप से छोटे और मझौले निर्यातकों के निर्यात ऋण के लिए आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान किया जाता है ।

iii) निर्यात ऋण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करते समय बैंकों को एक ही बार में सभी प्रश्न उठाने चाहिए जिससे ऋण मंजूर करने में विलंब से बच सकें ।

iv) फार्मों को सही ढंग से भरने के संबंध में बैंकों से तकनीकी सहायता लेते हुए लघु उद्योग/निर्यात संगठनों द्वारा विशेष रूप से दूर-दराज के केंद्रों में स्थित छोटे और मझौले निर्यातकों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ।

v) जहां तक हो सके, संपार्श्विक जमानत पर ज़ोर न दिया जाए ।

vi) राज्य स्तरीय शाखा समितियों (एसएलबीसी) की उप-समितियों के रूप में पुनर्गठित राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियों (एसएलईपीसी) को बैंकों और निर्यातकों के बीच समन्वय बढ़ाने में अधिक भूमिका निभानी चाहिए ।

(ख) गोल्ड कार्ड योजना की समीक्षा

i) चूंकि बैंकों द्वारा जारी गोल्ड कार्डों की संख्या कम है, अतः बैंकों को सूचित किया गया कि वे सभी पात्र निर्यातकों, खास तौर से लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों को कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया तीन महीनों की अवधि के भीतर पूरी की जाती है ।

ii) सभी बैंकों द्वारा इस योजना के अधीन परिकल्पित रूप में गोल्ड कार्ड जारी करने की सरल क्रियाविधि लागू की जानी चाहिए ।

iii) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की पैकिंग ऋण गारंटी क्षेत्रीय योजनाओं से सभी पात्र गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों को छूट देने के संबंध में बैंक उनके पिछले (ट्रेक) रिकार्ड के आधार पर विचार करें ।

(ग) गैर-स्टार निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण की समीक्षा

बैंकों को छोटे और मझौले उद्यम निर्यातकों की ऋण समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्रीय / आंचलिक कार्यालयों और प्रमुख शाखाओं में नोडल अधिकारी नियोजित करने चाहिए

(घ) अन्य मुद्दों की समीक्षा

i) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरें उच्चतम दरें हैं । चूंकि बैंकों को कम ब्याज दरें लगाने की स्वतंत्रता है, अतः बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम दरों से कम दरों पर निर्यात ऋण प्रदान करने पर विचार करें ।

ii) बैंकों को चाहिए कि वे निर्यातकेतर उधारकर्ताओं को विदेशी मुद्रा ऋणों की तुलना में निर्यातकों की विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें ।

(ङ) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज

कार्यदल द्वारा संस्तुत किए गये अनुसार 18 अप्रैल 2006 से बैंको द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रदान किये गये निर्यात ऋणपर ब्याज की उच्चतम दर को लिबोर में 75 आधार अंक मिलाकर आनेवाली विद्यमान उच्चतम दर से संशोधित कर लिबोर में 100 आधार अंक मिलाकर आनेवाली दर किया गया। ब्याज में किया गया उक्त संशोधन न केवल नए अग्रिमों को लागू होगा बल्कि विद्यमान अग्रिमों की शेष अवधि के लिए भी लागू होगा। यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि बैंक द्वारा किए गए आउट ऑफ पॉकेट व्ययों की वसूली के लिए लगाए जानेवाले प्रभारों के अलावा सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार आदि जैसे किसी भी शीर्ष के तहत किसी भी तरीके से कोई अन्य प्रभार नहीं लगाएंगे (तत्पश्चात विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की उच्चतम दर को 5 फरवरी 2009 से संशोधित कर लिबोर में 350 आधार अंक मिलाकर आनेवाली दर किया गया)।

अनुबंध 2

निर्यात ऋण डाटा (संवितरण /बकाया)

वर्ष	महीना	बैंक/एफआई कोड

प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

क. सभी निर्यातकों के लिए दि. . . . . (मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर को समाप्त तिमाही के अंतिम शुक्रवार) को कुल संवितरण और बकाया शेष दर्शाने वाला विवरण :

(राशि करोड़ रुपये में)

तिमाही के दौरान संवितरण						तिमाही के अंतिम शुक्रवार को बकाया शेष					
पोतलदानपूर्व ऋण		पोतलदानोत्तर ऋण				पोतलदानपूर्व ऋण		पोतलदानोत्तर ऋण			
रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण	रुपया ऋण	निर्यात बिल रिडिस्काउंटिंग	आस्थगित भुगतान	अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण	रुपया ऋण	निर्यात बिल रिडिस्काउंटिंग	आस्थगित भुगतान	अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान

ख. उपर्युक्त में से गोल्ड कार्ड धारकों के संवितरण और बकाया शेष :

संदर्भाधीन तिमाही के अंत तक जारी किए गए गोल्ड कार्डों की कुल संख्या : ---------------------

(राशि करोड़ रुपये में)

तिमाही के दौरान संवितरण (गोल्ड कार्ड धारकों के लिए)						तिमाही के अंतिम शुक्रवार को बकाया शेष (गोल्ड कार्ड धारकों के लिए)					
पोतलदानपूर्व ऋण		पोतलदानोत्तर ऋण				पोतलदानपूर्व ऋण		पोतलदानोत्तर ऋण			
रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा में पोतलदान-पूर्व ऋण	रुपया ऋण	निर्यात बिल रिडिस्काउंटिंग	आस्थगित भुगतान	अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण	रुपया ऋण	निर्यात बिल रिडिस्काउंटिंग	आस्थगित भुगतान	अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान

क) बीना अवलंबित आधार पर निर्यात बिल रिडिस्काउंटिंग योजना के अंतर्गत डिस्काउंटेड /रिडिस्काउंटेड बिलों की राशि बकाया शेष से बाहर रखी जानी चाहिए ।

ख) यदि अंतिम शुक्रवार किन्हीं महीनों जैसे मार्च, जून आदि का अंतिम दिन नहीं होता तो बैंकों को शेष बची अवधि के संवितरण अगली तिमाही में शामिल करने चाहिए ।

उदाहरण के लिए यदि मार्च तिमाही का अंतिम शुक्रवार 25 मार्च को पड़ता है तब 26 मार्च से 31 मार्च तक के संवितरण जून तिमाही में शामिल किए जाएँगे ।

अनुबंध 3
(देखें पैरा 10)

औ.नि.ऋ.वि. के परिपत्र सं. 13/04.02.02/2002-03
दिनांक 3 फरवरी, 2003 का संलग्नक

<u>हीरा ग्राहकों से प्राप्त किया जानेवाला वचन-पत्र</u>

हीरों से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यापार
करने के लिए ऋण पानेवाले ग्राहकों से
<u>लिया जाने वाला वचन पत्र का फार्म</u>

"मैं एतद्द्वारा वचन देता हूँ :

(i) मैं जानबूझकर विवादग्रस्त हीरों का ऐसा कोई व्यापार नहीं करूँगा, जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव सं. 1173, 1176 एवं 1343(2001) के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है अथवा जिसे लाइबेरिया सहित अफ्रीका क्षेत्र के संबंधित देश के विधिसम्मत एवं अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सरकार के विरूद्ध विद्रोह करनेवाली शक्तियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है।

(ii) मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प सं. 1306(2000) जो कि सियारा लोन से सभी अपरिष्कृत हीरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात का निषेध करता है तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प सं. 1343(2001) जो कि सियारा लोन से सभी प्रकार के अपरिष्कृत हीरों के ऐसे आयात को रोकता है तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प सं. 1343 (2001) जो लाइबेरिया से इनके ऐसे आयात पर प्रतिबंध लगाता है, के अनुसार सियारा लोन तथा/अथवा लाइबेरिया से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आनेवाले अपरिष्कृत हीरों का आयात नहीं करूँगा भले ही इन हीरों का उद्गम लाइबेरिया में हुआ हो या न हो ।

(iii) मैं हीरों के लेन-देन के लिए किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम का पालन करूँगा ।

मैं अपनी सहमति भी देता हूँ कि यदि मैं जान बूझकर ऐसे हीरों का व्यापार करने का दोषी पाया जाता हूँ तो किसी भी समय, मेरी समस्त ऋण पात्रताएँ वापस ले ली जाएँगी" ।

परिशिष्ट I

रुपया निर्यात ऋण पर
मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.131/04.02.01/2008-09	28.04.2009	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
2.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.101/04.02.01/2008-09	16.12.2008	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
3.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.95/04.02.01/2008-09	08.12.2008	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
4.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.88 /04.02.01/2008-09	28.11.2008	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
5.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.80/04.02.01/2008-09	15.11.2008	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
6.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.68/04.02.01/2008-09	07.11.2008	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता - स्पष्टीकरण
7.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.68/04.02.01/2008-09	24.10.2008	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
8.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.77/04.02.01/2007-08	28.04.2008	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
9.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.73/04.02.01/2007-08	25.04.2008	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
10.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.54/04.02.01/2007-08	30.11.2007	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
11.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.41/04.02.01/2007-08	29.10.2007	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
12.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.34/04.02.01/2007-08	06.10.2007	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
13.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.22/04.02.01/2007-08	13.07.2007	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
14.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.1/04.02.02/2007-08	02.07.2007	निर्यातकों को रुपया/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण और ग्राहक सेवा संबंधी मास्टर परिपत्र
15.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.80/04.02.01/2006-07	17.04.2007	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
16.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.37/04.02.01/2006-07	20.10.2006	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
17.	बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) बीसी. सं. 83/ 04.02.01/2005-06	28.04.2006	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
18.	बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं. बीसी. 41/ 04.02.01/2005-06	02.11.2005	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर

19.	बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं. 83/ 04.02.01/2004-05	29.04.2005	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
20.	औनिऋवि. सं. 14/01.01.43/ 2003-04	30.6.2004	भारतीय रिज़र्व बैंक के औद्योगिक निर्यात और ऋण विभाग के कार्यों का इसके अन्य विभागों में विलयन
21.	औनिऋवि.सं.12/04.02.02/ 2003-04	18.5.2004	निर्यातकों के लिये गोल्ड कार्ड योजना
22.	औनिऋवि. सं. 13/04.02. 01/2003-04	18.5.2004	गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों के लिए रुपया निर्यात ब्याज दरें
23.	औनिऋवि. सं. 10/04.02.01/2003-04	24.4.2004	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
24.	औनिऋवि. सं. 5/04.02.01/ 2003-04	31.10.2003	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
25.	औनिऋवि. सं. 18/04.02.01/2002-03	30.4.2003	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
26.	औनिऋवि. सं. 16/04.02.02/ 2002-03	01.04.2003	निर्यात ऋण - एस ई जेड इकाइयां
27.	औनिऋवि. सं. 8/04.02.01/ 2002-03	28.09.2002	बड़े मूल्य के निर्यातों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज
28.	औनिऋवि. सं. 7/04.02.01/ 2002-03	23.09.2002	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
29.	औनिऋवि. सं. 17/04.02.01/ 2001-02	15.03.2002	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
30.	औनिऋवि. सं. 15/04.02.02/ 2001-02	03.01.2002	प्रसंस्करणकर्ताओं / निर्यातकों को निर्यात ऋण -कृषि निर्यात क्षेत्र
31.	औनिऋवि. सं. 4/04.02.01/ 2001-02	24.09.2001	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
32.	औनिऋवि. सं. 13/04.02.01/ 2000-01	19.04.2001	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर
33.	औनिऋवि. सं. 9/ 04.02.01/ 2000-01	05.01.2001	निर्यात ऋण पर ब्याज दर
34.	औनिऋवि. सं. 15/04.02.01/ 1999-2000	25.05.2000	निर्यात ऋण - ब्याज दर
35.	औनिऋवि.सं. 14/04.02.02/ 1999-2000	17.05.2000	राज्य ऋण की चुकौती के बदले रूस महासंघ को परेषण निर्यात- रुपये में पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज दर
36.	औनिऋवि. सं. 12/04.02.01/ 1999-2000	15.03.2000	निर्यात ऋण पर ब्याज दर के संबंध में स्पष्टीकरण
37.	औनिऋवि. सं. 6/04.02.01/ 1999-2000	29.10.1999	निर्यात ऋण - ब्याज दर
38.	औनिऋवि. सं. 23/04.02.01/ 1998-99	12.04.1999	बिल की अवधि में परिवर्तन - रियायती ब्याज दर का लागू होना
39.	औनिऋवि. सं. 19/04.02.01/ 1998-99	03.03.1999	निर्यात ऋण - ब्याज दर
40.	औनिऋवि. सं. 16/04.02.01/ 1998-99	25.02.1999	शुल्क वापसी दावों के बदले अग्रिम
41.	औनिऋवि. सं. 11/04.02.01/ 1998-99	13.01.1999	निर्यात ऋण - पुष्पोत्पादन, अंगूर और कृषि - आधारित अन्य उत्पाद
42.	औनिऋवि. सं. 6/08.12.01/ 1998-1999	08.08.1998	सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूँजी संस्वीकृत करने के संबंध में दिशानिर्देश
43.	औनिऋवि. 5/04.02.01/ 1998-1999	06.08.1998	निर्यात ऋण - ब्याज दर

44.	औनिऋवि. 41/04.02.01/ 1997-98	29.04.1998	निर्यात ऋण - ब्याज दर
45.	औनिऋवि. 38/04.02.01/1997-98	02.03.1998	दुबई में वेयरहाउस कम डिस्प्ले सेंटर के माध्यम से निर्यातों के मामले में पोतलदानोत्तर वित्त
46.	औनिऋवि. सं. 32/04.02.01/ 1997-98	31.12.1997	निर्यात ऋण - अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज दर
47.	औनिऋवि. सं. 31/04.02.01/ 1997-98	31.12.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर
48.	औनिऋवि. सं. 29/04.02.01/ 1997-98	29.12.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर- स्पष्टीकरण
49.	औनिऋवि. सं. 26/04.02.01/ 1997-98	17.12.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर
50.	औनिऋवि. सं. 19/04.02.01/ 1997-98	29.11.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर
51.	औनिऋवि. सं. 18/04.02.01/ 1997-98	26.11.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर
52.	औनिऋवि. सं. 11/04.02.01/ 1997-98	21.10.1997	निर्यात ऋण - ब्याज दर
53.	औनिऋवि. सं. 9/04.02.01/ 1997-.98	12.09.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर
54.	औनिऋवि.सं 1/04.02.01/1997-98	05.07.1997	मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना
55.	औनिऋवि. सं. 32/04.02.01/ 1996-97	25.06.1997	निर्यात ऋण - ब्याज दर
56.	औनिऋवि. सं. 29/04.02.01/ 1996-97	17.04.1997	दुबई में वेयरहाउस कम डिस्प्ले सेंटर के माध्यम से निर्यातों के मामले में पोतलदानोत्तर वित्त
57.	औनिऋवि. सं. 27/04.02.01/ 1996-97	15.04.1997	निर्यात ऋण - ब्याज दर
58.	औनिऋवि. सं. 16/04.02.01/ 1996-97	22.11.1996	मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना - बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों / फंडों की सूची
59.	औनिऋवि. सं. 15/04.02.01/ 1996-97	19.11.1996	निर्यात ऋण -निर्यात ऋण गारंटी निगम - समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर गारंटी योजना
60.	औनिऋवि. सं. 10/04.02.01/ 1996-97	19.10.1996	अग्रिमों पर ब्याज दर-पोतलदानोत्तर रुपया ऋण
61.	औनिऋवि. सं. 2/04.02.01/ 1996-97	03.07.1996	मध्यावधि और दीर्घावधि आधारपर (180 दिनों से बाद की अवधि के लिये आस्थगित ऋण)- पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर
62.	औनिऋवि. सं. 20/04.02.02/1995-96	07.02.1996	अग्रिमों पर ब्याज दर - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण
63.	औनिऋवि. सं. 30/04.02.02/1994-95	14.12.1994	निर्यात पैकिंग ऋण के मामले में छूट
64.	औनिऋवि. सं. 25/04.02.02/1994-	10.11.1994	निर्यात आदेश के उप - आपूर्तिकर्ताओं

	95		को शामिल करने वाली देशी निर्यात साखपत्र प्रणाली
65.	औनिऋवि. सं. 17/04.02.02/ 1994-95	11.10.1994	निर्यात पैकिंग ऋण - ब्याज दरों में छूट
66.	औनिऋवि. सं. 11/04.02.02/ 1994-95	05.09.1994	निर्यात पैकिंग ऋण का समापन
67.	औनिऋवि. सं. 5/04.02.02/ 1994-95	04.08.1994	मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना- बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों / फंडों की सूची
68.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 42/ 04.02.02/1993-94	07.05.1994	सीआइएस और पूर्वी यूरोप के देशों को परेषण निर्यात -पोतलदानोत्तर रुपया ऋण ब्याज दर
69.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 23/ 04.02. 02/1993-94	10.12.1993	मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना - बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों / फंडों की सूची
70.	औनिऋवि सं. ईएफडी. 2/ 04.02.02/1993-94	02.08.1993	मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना
71.	औनिऋवि सं. 16/ईएफडी/ बीसी/819/पीओएल-	15.12.1992	विदेश स्थित वेयरहाउसों के माध्यम से भंडारण और विक्री के लिए निर्यात वित्त
72.	औनिऋवि. सं. 56/ईएफडी. बीसी. 819/ पीओएल-	14.03.1992	पोतलदानोत्तर ऋण दिया जाना - चालू सुविधा खाता
73.	औनिऋवि. सं. 55/ईएफडी/ बीसी/819/ पीओएल- ईसीआर/1991-92	12.03.1992	180 दिनों से बाद की अवधि के लिये पोतलदान पूर्व ऋण
74.	औनिऋवि.सं.53/ईएफडी/बीसी/ 819/पीओएल-ईसीआर/1991-92	29.02.1992	निर्यात ऋण पर ब्याज दर
75.	औनिऋवि. सं. 47/ईएफडी/बीसी / 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92	25.01.1992	पैकिंग ऋण - चालू सुविधा खाता
76.	औनिऋवि. सं. 31/ईएफडी बीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92	20.11.1991	पैकिंग ऋण दिया जाना - चालू सुविधा खाता
77.	औनिऋवि. सं. 25/ईएफडी बीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92	09.10.1991	निर्यात ऋण ब्याज दरें
78.	औनिऋवि. सं.22/ईएफडी / बीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर / 1991-92	27.09.1991	पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर ब्याज दर
79.	औनिऋवि. सं. 11/ ईएफडी/ बीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92	05.08.1991	अग्रिमों पर ब्याज दर- निर्यात ऋण
80.	औनिऋवि. सं. 2/ईएफडी/बीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92	09.07.1991	निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968, - रुपया संसाधनों में से समायोजित पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज
81.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 49/ 819-पीओएल-ईसीआर/ 1991	22.04.1991	अग्रिमों पर ब्याज दर- निर्यात ऋण
82.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.बीसी. 48 / 819-पीओएल-ईसीआर/1991	02.04.1991	अग्रिमों पर ब्याज दर- निर्यात ऋण
83.	औनिऋवि. सं. ईएफडी/बीसी. 47/ 819/पीओएल- ईसीआर./ 1991	01.04.1991	अग्रिमों पर ब्याज दर- निर्यात ऋण

84.	औनिऋवि.सं.ईएफडी.बीसी.44/ डीडीबी (पी)- 1991	26.03.1991	शुल्क वापसी ऋण योजना 1976- ब्रैंड रेट के अंतर्गत शुल्क वापसी पात्रता के बदले ब्याजमुक्त अग्रिमों की मंजूरी
85.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 8/ 819-पीओएल-ईसीआर- 1989-90	28.09.1989	निर्यात ऋण (ब्याज में छूट) योजना 1968 - सामान्य पारगमन अवधि-मांग बिल
86.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी 253/ 819-पीओएल/ईसीआर/1989	27.05.1989	निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968 - रुपया संसाधनों में से समायोजित पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज
87.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 250/ 380/पीओएल-ईसीआर/1989	29.04.1989	शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976
88.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.बीसी. 248 /819-पीओएल-ईसीआर- 1989	13.03.1989	अग्रिम लाइसेंस / आयात - निर्यात पासबुक योजना के अंतर्गत पात्रता के बदले आयात हेतु पैकिंग ऋण
89.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 240/819-पीओएल-ईसीआर-1989	03.03.1989	निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968- नियामतों के लिए अग्रिम भुगतान रूप में सीधे प्राप्त चेकों, ड्राफ्टों इत्यादि की आय के बदले रियायती ऋण का प्रावधान
90.	औनिऋवि. सं. ईएफडी/ 215/822-डब्ल्यूजीएम-एनओडी-1988	12.08.1988	विदेश स्थित सिविल इंजिनिअरिंग निर्माण संविदाएँ- परामर्शी सेवाएँ
91.	औनिऋवि. सं. 197 /822-डब्ल्यूजीएम -एनओडी-1988	30.01.1988	परियोजना निर्यात - भारतीय ठेकेदारों को ऋण सुविधाओं की मंजूरी
92.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 188/ 819/ पीओएल-ईसीआर/ 1987	06.11.1987	निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट)योजना 1968-180 दिनों से अधिक समय के लिए पैकिंग ऋण दिया जाना - काजू और कृषि आधारित अन्य उत्पादों के लिए पैकिंग ऋण
93.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 181/ 819-पीओएल- ईसीआर-1987	10.08.1987	निर्यात ऋण गारंटी निगम- लंबे समय से बकाया निर्यात बिलों की वसूली-बैंकों द्वारा वसूली के प्रयास
94.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 163/ 819/पीओएल-ईसीआर-	04.03.1987	निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना, 1968 - सामान्य पारगमन अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण
95.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 153/ 819-पीओएल-पीआरइ-ईसीआर-87	03.01.1987	निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968 - पोतलदानपूर्व अग्रिम-रियायती ब्याज दर
96.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी.148 /819-पीओएल-ईसीआर-1986	24.11.1986	निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968- मांग बिलों के आधार पर अग्रिमों पर ब्याज
97.	बैंपविवि सं. डीआईआर. बीसी. 23/ सी. 96-86	28.02.1986	निर्यातों के लिये पोतलदानपूर्व वित्त

98.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 133/ 015- ईओयू-1985	21.11.1985	शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख ईकाईयों को निर्यात ऋण
99.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 127/ 819/पीओएल-ईसीआर/ 1985	08.10.1985	निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968- भारत में आईबीआरडी / आईडीए / युनीसेफ से सहायताप्राप्त परियोजनाओं को की जाने वाली आपूर्ति के बदले आपूर्ति के बाद सुविधाएँ
100.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 109/ 819/पीओएल-ईसीआर/ 1985	27.03.1985	लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए पोतलदानपूर्व ऋण
101.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 103/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1985	04.02.1985	निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968-पोतलदानपूर्व ऋण की मंजूरी - संविदाओं का प्रतिस्थापन आदि
102.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 102/ 819/पीओएल-ईसीआर/ 1985	28.01.1985	निर्यात ऋण - परेषण आधार पर वस्तुओं का निर्यात
103.	औनिऋवि. सं. इएफडी. बीसी. 86/ सी. 819- पीओएल- ईसीआर/1984	15.03.1984	निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना, 1968 - निर्यात बिलों कि आय का प्रत्यावर्तन - स्पष्टीकरण
104.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी.80 /015.ईओयू. 1984	19.01.1984	शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों को निर्यात ऋण
105.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 75/सी 297(पी)-1983	06.12.1983	अफ्रीका को किए जाने वाले निर्यात के संबंध में रणनीति - निर्यात वित्त संबंधी स्थायी समिति के उप-समूह की रिपोर्ट का सारांश
106.	बैंपविवि. सं. ईएफडी. बीसी. 59 और 60 /सी. 297 पी-83	20.06.1983	डी-आयल्ड और डी-फॅटेड केक्स के निर्यातकों को पैकिंग ऋण अग्रिम - संशोधित दिशानिर्देश
107.	बैंपविवि सं. ईसीसी. बीसी 143, 144 /सी. 297 पी-80	09.12.1980	पोतलदानपूर्व ऋण- ब्याज की अधिकतम दर - दिशानिर्देश
108.	बैंपविवि सं. ईसीसी. बीसी. 172 / सी. 297 पी-79	04.12.1979	निर्यात ऋण -निर्यात ऋण गारंटी निगम - समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण गारंटी योजना
109.	बैंपविवि सं. एसीसी. बीसी. 107/ सी. 297 पी(सी)-79	23.07.1979	शुल्क वापसी ऋण योजना 1976- निर्धारित समय के भीतर ऋण खातों में समायोजन
110.	बैंपविवि सं. ईसीसी. बीसी. 104/ सी. 297 पी-	14.07.1979	निर्यात ऋण -निर्यात ऋण गारंटी निगम - समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण गारंटी योजना
111.	बैंपविवि सं. ईसीसी. बीसी. 81/ सी. 297 पी-79	05.06.1979	निर्यात ऋण - (ब्याज पर छूट) योजना 1968 - निर्यात बिलों को कवर करने के लिए आय का प्रत्यवर्तन
112.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 73/ सी. 297 (ओ) (12)-79	02.06.1979	निर्यात ऋण - हीरों का निर्यात
113.	बैंपविवि सं. एसीसी. बीसी. 118/C. 297 पी-(सी)79	07.04.1979	शुल्क वापसी ऋण योजना 1976- संशोधित लेखाकरण प्रक्रीया
114.	बैंपविवि. सं. एसीसी. बीसी. 55/ सी. 297	07.04.1979	शुल्क वापसी ऋण योजना 1976 -

	पी (सी)-79		संशोधन
115.	बैंपविवि. सं. एससीसी. बीसी. 38/ सी. 297 पी (सी)-79	06.03.1979	शुल्क वापसी ऋण योजना 1976-छूट
116.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी 14, 15/सी. 297 पी-79	22.01.1979	निर्यात ऋण -पोतलदानपूर्व ऋण-ब्याज की अधिकतम दर - निदेश
117.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 9/ सी. 297 पी-79	15.01.1979	मुक्त व्यापार/ निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में इकाईयों को अग्रिम
118.	बैंपविवि. सं. एससीसी. बीसी. 70/सी. 297 पी (सी)-79	18.05.1978	शुल्क वापसी ऋण योजना,1976-भारिबैंक द्वारा दिये गये अग्रिमों की चुकौती के प्रति समायोजन द्वारा उधारकर्ता बैंक के ऋण खाते में जमा
119.	बैंपविवि. सं. ईसीसी.बीसी. 57/ सी. 297 एल (आइडी) जीईएन-78	04.05.1978	निर्यात ऋण- बोली बांड/गारंटियां जारी करने के लिए कार्य दल से स्वीकृति लेने हेतु बैंकों को सूचित किया - विदेशी निर्माण संविदाएं
120.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.45/ सी.297 (ओ)(12)-78	29.03.1978	निर्यात ऋण - हीरों की निर्यात के लिए बैंक वित्त के संबंध में
121.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 39 और 40/सी.297 पी.-78	08.03.1978	निर्यात ऋण -ब्याज पर उच्चतम दर - निदेश
122.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.82/ सी. 297एल (4.1)-77	04.07.1977	निर्यात ऋण - विदेशी निर्माण संविदाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश
123.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.55/ सी. 297 पी -77	28.05.1977	आस्थगित अदायगी शर्तों पर दिया गया पोतलदानोत्तर ऋण - पूंजी तथा उत्पादक वस्तुओं का निर्यात - उच्च मूल्य की अभियांत्रिकी तथा उपकरण वस्तुएँ
124.	बैंपविवि. एससीसी. बीसी. 52/सी. 297 पी (सी)-77	25.05.1977	शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976 - बैंकों को वास्तविक ढंग से सीमाएँ निर्धारित करने संबंधी सूचना
125.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.31/सी 297 एम.-77	29.03.1977	निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना , 1968 - एचपीएस ग्राउंडनट के तथा डी-आयल्ड और डी-फॅटेड केक्स के निर्यातकों को पैकिंग ऋण अग्रिम - ब्याज सब्सिडी दावों तथा रियायती ब्याज दरों के संबंध में स्पष्टीकरण
126.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.8/सी.297 एम.-77	13.01.1977	निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना, 1968 -अनाहरित शेषराशियों तथा प्रतिधारण राशि की जमानत पर अग्रिम
127.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.154/297 पी - 76	27.12.1976	निर्यात ऋण - केवल 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिये गये पोतलदानोत्तर ऋण पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से संबंधित स्पष्टीकरण
128.	बैंपविवि. एससीसी. बीसी.66/सी. 297पी (सी)-76	23.06.1976	शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976 - बैंकों द्वारा भारिबैंक से एक बारगी

			आहरण की न्यूनतम राशि को 1 लाख रुपए से घटाकर 20000 रु करना
129.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.38/सी. 297 पी-76	22.03.1976	निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना, 1968- पैकिंग ऋण अग्रिम
130.	बैंपविवि.एसीसी. बीसी. 25/सी 297 पी (सी)-76	21.02.1976	शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976 - योजना के अंतर्गत अग्रिम मंजूर करते समय लदान पत्र आदि के सत्यापन के संबंध में बैंकों को सूचना
131.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 20/सी 297 पी -76	09.02.1976	पोतलदानपूर्व ऋण- विदेशी खरीदारों से प्राप्त केबल सूचनाओं के आधार पर जूट मिलों को पैकिंग ऋण सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बैंकों को सूचना
132.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.19/ सी 297 पी -76	09.02.1976	पोतलदानपूर्व ऋण- निर्यात गृहों/ एजेन्सियों के माध्यम से संविदाओं के प्रतिस्थापन और निर्यात के वित्तपोषण के संबंध में परिचालनगत लचीलेपन की छूट
133.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.16 /सी. 297 एल (एलएफ)-76	06.02.1976	निर्यात ऋण - कालीन के निर्यातक - ऐसे निर्यात ऋण प्रस्तावों पर तत्पर कार्रवाई करने हेतु अपने शाखा प्रबंधकों / क्षेत्रीय प्रबंधकों को पर्याप्त अधिकार देने हेतु बैंको को सूचना
134.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 12/सी. 297 (एल-11)-76	27.01.1976	निर्यात ऋण- परामर्शी सेवाओं का निर्यात - आवश्यक सहायता देने हेतु बैंकों को सूचना
135.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.2/सी 297 एल (16)-76	07.01.1976	शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976
136.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 91 /सी. 297 पी-75	23.10.1975	निर्यात ऋण -प्रदर्शनी और विक्रय के लिए माल का निर्यात -विदेश में प्रदर्शनी और विक्रय के लिए उत्पादन हेतु बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दर लिया जाना।
137.	बैंपविवि. ईसीसी. बीसी. 57 /सी. 297 पी-75	14.08.1975	निर्यात ऋण- परामर्शी सेवाओं का निर्यात - तकनीकी तथा अन्य स्टाफ के व्यय की भरपाई हेतु परामर्शी अनुबंधों के बदले बैंकों द्वारा ऋण सीमा का निर्धारण
138.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 33 /33 /सी. 297 पी-75	19.04.1975	आस्थगित भुगतान शर्तों पर पोतलदान पश्च ऋण - एक वर्ष से अधिक समय के लिये 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दर से ब्याज लगाने के लिए बैंकों को सूचित किया जाना ।
139.	बैंपविवि बीएम. बीसी. 7 /सी. 297 पी-74	12.01.1974	निर्यात ऋण- मात्रा और अवधि के संबंध में निर्यात ऋण के उपयोग पर निगरानी

			रखने हेतु बैंकों को सूचित किया जाना ।
140.	बैंपविवि. बीएम. बीसी. 81/सी. 297 एम -73	18.07.1973	पोतलदानपूर्व ऋण योजना तथा निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना, 1968 - भारत में आईबीआरडी/ आईडीए/ युनीसेफ से सहायताप्राप्त परियोजनाओं कार्यक्रमों को आपूर्ति के बदले पैकिंग ऋण सुविधाएँ, पुनर्वित्त और ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र है ।
141.	बैंपविवि बीएम. बीसी. 58/सी. 297 पी-73	31.05.1973	पोतलदानपूर्व ऋण योजना - बहुमूल्य और कम बहुमूल्य रत्नों और सिन्थेटिक पत्थरों का निर्यात- एक विशेष (पोतलदानपश्च) खाते में पैकिंग ऋण अग्रिमों के बकाया शेष को स्थानांतरित का समायोजित करने संबंधी स्पष्टीकरण ।
142.	बैंपविवि. बीएम. बीसी. 120/ सी. 297 पी-72	06.12.1972	निर्यात के लिए निर्यातकों को अयस्क की आपूर्ति करने वाले गोवा के लौह अयस्क खोदने वालों को पैकिंग ऋण अग्रिम ।
143.	बैंपविवि. बीएम बीसी. 97/सी. 297(एम)-72	30.10.1972	पोतलदानपूर्व ऋण योजना तथा निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना 1968 - नकद प्रोत्साहन, कर वापस लेना आदि - ईसीजीसी योजना संबंधी स्पष्टीकरण ।
144.	बैंपविवि. बीएम. बीसी. 74/ सी. 297(एम)-72	30.08.1972	पोतलदानपूर्व ऋण योजना तथा निर्यात ऋण योजना, 1968 - नकद प्रोत्साहन, कर वापस लेना आदि - ईसीजीसी योजना संबंधी स्पष्टीकरण ।
145.	बैंपविवि बीएम. बीसी. 70 /सी. 297 पी-72	09.08.1972	खनिज अयस्कों के निर्यात संबंधी पैकिंग ऋण अग्रिम ।
146.	बैंपविवि बीएम. बीसी 62 /सी. 297 (एम)-71	21.05.1971	पोतलदानपूर्व ऋण योजना तथा निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना, 1968- वित्त के अंतिम कड़ी तक उपयोग पर न सिर्फ सूक्ष्म निगरानी रखने बल्कि निर्यात आदेशों को समय से पूरा करने और समयावधि बढ़ाने के आवेदनों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के लिए बैंकों को सूचित किया जाना ।
147.	बैंपविवि. एस. बीसी. 51 /सी.96 -71	16.04.1971	पैकिंग ऋण और पोतलदानपश्च ऋण - ब्याज दर का स्वरूप - पैकिंग ऋण के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की सीमा तथा निर्यातकों को आस्थगित भुगतान शर्तों पर दिए गए ऋणों के अलावा पोतलदान पश्च ऋण
148.	बैंपविवि. बीएम. 64/सी. 297 पी-70	12.01.1970	पोतलदानपूर्व ऋण योजना - बहुमूल्य, कम बहुमूल्य पत्थरों, रत्नों और

			सिंथेटिक पत्थरों का निर्यात
149.	बैंपविवि. बीएम. 1152/ सी. 297 (एम) -69	11.07.1969	रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(3 क) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को अग्रिम - उन निर्यातकों को अग्रिम जिनके पास साखपत्र नहीं है या जिनके निर्यात आदेश नहीं है तथा जो राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम एवं अन्य निर्यात गृहों के माध्यम से अपने निर्यात करते हैं - स्पष्टीकरण
150.	बैंपविवि बीएम. 1064 /सी.297 पी -69	01.07.1969	हीरों के निर्यात के संबंध में पोतलदानपूर्व ऋण योजना
151.	बैंपविवि बीएम.1040 /सी.297पी-69	27.06.1969	पोतलदानपूर्व ऋण योजना - चमड़ों की वस्तुओं के निर्यात हेतु राज्य व्यापार निगम को चमड़े की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले चर्मकारों को दिये जानेवाले अग्रिमों को पैकिंग ऋण मानना
152.	बैंपविवि बीएम. 984 /सी.297 पी 69	19.06.1969	पोतलदानपूर्व ऋण- निर्माण संविदाकारों को दिये जानेवाले कतिपय अग्रिमों को पैकिंग ऋण मानना
153.	बैंपविवि बीएम. 682/सी.297 के- 69	07.04.1969	निर्यात ऋण- ब्याज लगाना
154.	बैंपविवि बीएम. 588/सी.297 ए-69	26.03.1969	मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन के ज़रिए अयस्क के निर्यात से संबंधित पैकिंग ऋण अग्रिमों का पुनर्वित्तपोषण
155.	बैंपविवि बीएम.254/सी.297 ए-69	14.02.1969	पैकिंग ऋण अग्रिम- स्पष्टीकरण- ऐसे अग्रिमों की मंजूरी खोले जाने वाले किसी साख पत्र पर निर्भर नहीं होनी चाहिए
156.	बैंपविवि बीएम. 1489/सी.297ए-68	07.11.1968	पैकिंग ऋण अग्रिम- ऐसे अग्रिम किस अवधि के लिए दिये जाए- स्पष्टीकरण
157.	बैंपविवि बीएम. 1179/सी.297ए-68	19.08.1968	काजू के निर्यात संबंधी पैकिंग ऋण अग्रिमों का पुनर्वित्तपोषण- अधिकतम ब्याज दर लागू होने का स्तर- अतिरिक्त स्पष्टीकरण
158.	बैंपविवि बीएम. 974 /सी.297ए-68	27.06.1968	काजू के निर्यात से संबंधित पैकिंग ऋण सुविधाएँ
159.	बैंपविवि बीएम. 785/सी.297ए-68	18.05.1968	काजू के निर्यात से संबंधित पैकिंग ऋण सुविधाएँ
160.	बैंपविवि बीएम.558 /सी.297ए-68	06.04.1968	निर्यातकों को पैकिंग ऋण सुविधाएँ
161.	बैंपविवि बीएम. 2732/सी.297के-63	13.03.1963	निर्यात बिल ऋण योजना -योजना की मुख्य-मुख्य बातें - क्रियाविधियाँ

परिशिष्ट II

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर
मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) सं. 78/ 04.02.02/ 2005-06	18-04-2006	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें
2.	बैंपविवि. औनिऋअ. सं. 66/ 04.02.02/ 2004-05	31.12.2004	निर्यातककों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण-ब्याज की आवधिकता
3.	औनिऋवि. सं. 12/ 04.02.02/ 2003-04	18.05.2004	निर्यातकों के लिये गोल्ड कार्ड योजना
4.	औनिऋवि. सं. 12/ 04.02.02/ 2002-03	31.01.2003	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - निधि का स्रोत
5.	औनिऋवि. सं. 9/04.02.02/ 2002-03	31.10.2002	निर्यात ऋण- पैकिंग ऋण परिसमापन तथा रुपये पैकिंग ऋण के अंतर्गत आहरणें का पीसीएफसी में परिवर्तन
6.	औनिऋवि. सं. 21/ 04.02.01/ 2001-02	29.04.2002	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर
7.	औनिऋवि. सं. 14/04.02.01/ 2000-01	19.04.2001	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर
8.	औनिऋवि. सं. 13/04.02.02/ 1999-2000	17.05.2000	डायमंड डालर खाता योजना के अंतर्गत काम कर रहे निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण
9.	औनिऋवि. सं. 47/3840/ 04.02.01/97-98	11.06.1998	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण
10.	औनिऋवि. सं. 28/04.02.01/96-97	17.04.1997	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दिया जाना
11.	औनिऋवि. सं. 22/04.02.01/95-96	29.02.1996	निर्यात ऋण - विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण
12.	औनिऋवि. सं. 15/ 04.02.15/ 95-96	22.12.1995	एशियाई समाशोधन संगठन के सदस्य देशों को निर्यात - विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण मंजूर किया जाना - निर्यात बिल रीडिस्काउंटिंग योजना और विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानोत्तर ऋण योजनाएँ
13.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 40/ 04.02.15/94-95	18.04.1995	विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानपूर्व ऋण - वायदा विनिमय सुरक्षा
14.	औनिऋवि. सं. 30/04.02.02/94-95	14.12.1994	निर्यात पैकिंग ऋण के मामले में छूट

15.	औनिऋवि. सं. 27/04.02.15/94-95	14.11.1994	विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत पैकिंग ऋण में हिस्सेदारी
16.	औनिऋवि. सं. 13/ 04.02.02/ 94-95	26.09.1994	विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानपूर्व ऋण योजना - एक निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाई द्वारा दूसरी निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाई को आपूर्ति
17.	औनिऋवि. सं. 10/04.02.15/ 94-95	03.09.1994	विदेशी मुद्राओं में निर्यात वित्त
18.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.43/ 04.02.15/93-94	18.05.1994	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण -'चालू खाता' सुविधा उपलब्ध कराया जाना
19.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.37/ 04.02.15/93-94	30.03.1994	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - स्पष्टीकरण / छूट
20.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.32/ 04.02.11/93-94	03.03.1994	निर्यात बिलों की विदेश में रीडिस्काउंटिंग और विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - विथोल्डिंग टैक्स
21.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.31/ 04.02.15/93-94	03.03.1994	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - हीरों के निर्यात के लिए 'चालू खाता' सुविधा उपलब्ध कराया जाना
22.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.30/ 04.02.15/93-94	28.02.1994	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - स्पष्टीकरण
23.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.21/ 04.02.15/ 93-94	08.11.1993	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण -
24.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.14 / 04.02.11/93-94	06.10.1993	निर्यात बिलों की विदेश में रीडिस्काउंटिंग

परिशिष्ट III

निर्यात ऋण - ग्राहक सेवा
पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंपविवि.डीआईआर.(ईएक्सपी) बीसी सं. 10/04.02.01 (डब्ल्यूजी)/2006-07	05.02.2009	
2.	बैंपविवि.डीआईआर.(ईएक्सपी) बीसी सं. 38/ 04.02.01 (डब्ल्यूजी)/2006-07	14.11.2006	निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए कार्यकारी दल की सिफारिशें
3.	बैंपविवि.डीआईआर.(ईएक्सपी) बीसी सं. 61/04.02.01 (डब्ल्यूजी)/2005-06	07.02.2006	निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए कार्यकारी दल की सिफारिशें
4.	बैंपविवि. आईईसीएस सं. 43/ 04.02.10/2004-05	17.09.2004	राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति का समापन तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अंतर्गत अलग उप-समिति का गठन
5.	औनिऋवि. 14/ 01.01.43/ 2003-04	30.6.2004	भारतीय रिजर्व बैंक के औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के कार्यों का बैंक के अन्य विभागों के साथ विलयन
6.	औनिऋवि.12/04.02.02/ 2003-04	18.05.2004	निर्यातकों के लिये गोल्ड कार्ड योजना
7.	औनिऋवि.12/04.02.01/ 2003-04	18.05.2004	गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों के लिए निर्यात ब्याज दरें
8.	औनिऋवि. 23/ 04.02.02/ 2001-02	07.05.2002	मानितं निर्यातों के लिये रियायती रुपया निर्यात ऋण
9.	औनिऋवि. 21/ 04.02.01/ 2001-02	29.04.2002	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याजदर
10.	औनिऋवि. 3/ 04.02.01/ 2001-02	30.08.2001	हीरा निर्यातकों को दिया गया ऋण - कॉनफ्लिक्ट डायमंड के आयात पर प्रतिबंध
11.	औनिऋवि. सं. 7/ 04.02.02/ 2000-01	05.12.2000	हीरा निर्यातकों को दिया गया ऋण - कॉनफ्लिक्ट डायमंड के आयात पर प्रतिबंध
12.	औनिऋवि. सं. 4/ 04.02.02/ 2000-2001	10.10.2000	निर्यात ऋण - कार्यविधी में सुधार के संबंध में निर्यातकों को सुझाव
13.	औनिऋवि. सं. 1/3840 / 04.02.02 / 97-98	13.07.2000	हीरा निर्यातकों को दिया गया ऋण - कॉनफ्लिक्ट डायमंड के आयात पर प्रतिबंध
14	औनिऋवि. सं. 3/ 04.02.01/ 99-2000	07.09.1999	निर्यात ऋण दिये जाने संबंधी कार्यविधी का सरलीकरण
15.	औनिऋवि. सं.17/ 04.02.01/ 95-96	28.02.99	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण कार्यविधी का सरलीकरण

16.	औनिऋवि. सं. ईएफडी 30/ 04.02.02/97-98	31.12.97	निर्यात ऋण संबंधी आँकडे
17.	औनिऋवि. सं. ईएफडी 27/ 04.02.02/ 95-96	05.06.96	निर्यात ऋण संबंधी आँकडे बैंकों द्वारा विवरणियों की प्रस्तुती
18	औनिऋवि. सं. ईएफडी 48 / 04.02.02/ 94-95	22.05.95	निर्यात ऋण संबंधी आँकडे
19.	औनिऋवि. सं. 9/04.02.02/ 94-95	29.08.94	निर्यात ऋण - बैंकों के कार्यनिष्पादन के सूचक
20.	औनिऋवि सं.. ईएफडी 45/04.02.02/ 93-94	03.05.94	निर्यात ऋण संबंधी आँकडे
21.	औनिऋवि सं. ईएफडी.22/04.02.02/ 93-94	08.12.93	निर्यात ऋण ढांचा संबंधी समिति ऋणों और अग्रिमों की विशेष रूप से निर्यात ऋण के संदर्भ में मंजूरी प्रक्रि या में संश्रोधन
22.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 22/ 04.02.02/ 93-94		निर्यात बिलों की आय जमा होने में विलंब होने पर निर्यातकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान
23.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.18/819/ पीओएल/ईसीआर/ 92-93	26.12.92	निर्यात ऋण लक्ष्य
24.	औनिऋवि. सं. ईएफडी/819 - पीओएल/ईसीआर /92-93	05.11.92	उधारकर्ताओं को, विशेषत: निर्यातकों के संबंध में, ऋण सीमाओं की मंजूरी में विलंब
25.	औनिऋवि. सं. 3/ ईएफडी/बीसी/ 819/पीओएल-ईसीआर/92-93	24.08.92	निर्यात ऋण संबंधी आँकडे
26	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.58/ सी. 469-91	07.12.91	बैंकों में ऋण की मंजूरी में निर्यातकों को होने वाला विलंब
27.	औनिऋवि सं. ईएफडी. 17/003 -एसईएम /91-92	31.08.91	निर्यातों का वित्तपोषण
28.	औनिऋवि सं. ईएफडी. बीसी 40/ 819- पीओएल-ईसीआर/91	04.03.91	समय से और पर्याप्त निर्यात ऋण की व्यवस्था
29.	औनिऋवि सं. ईएफडी/बीसी 35 / 819/पीओएल/ईसीआर /90-91	15.01.91	निर्यात ऋण संबंधी आँकडे
30.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 191/ 819- पीओएल-ईसीआर / 87	24.11.87	निर्यातों का वित्तपोषण -समय से और पर्याप्त निर्यात ऋण की व्यवस्था
31.	बैंपविवि सं बीपी बी सी 47/ सी. 469 (डब्ल्यू) 87	08.10.87	निर्यातकों को होने वालि कठिनाइयाँ
32.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/ सी. 469(डब्ल्यू) 84	02.08.84	निर्यातकों को होने वालि कठिनाइयाँ
33.	औनिऋवि सं. ईएफडी.बीसी 24 / 819- पीओएल-ईसीआर /84	28.05.84	निर्यातों का वित्तपोषण
34.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 67/ सी 469 एल (12)- 81	02.06.81	निर्यात ऋण से संबंधित आंकड़े - विवरणों का प्रस्तुतीकरण

35.	बैंपविवि .सं . ईसीसी. बीसी. 53/ सी.297 पी- 78	17.04.78	निर्यातों का वित्तपोषण
36.	बैंपविवि. बीएम. 680/सी. 297 के -69	07.04.69	बैंकों द्वारा निर्यात परामर्शदाता कार्यालय खोला जाना